

ई-मेल

प्रेषक,

नितिन रमेश गोकर्ण,
अपर मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. आवास आयुक्त,

उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद,
लखनऊ।

3. अध्यक्ष,

समस्त विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

2. उपाध्यक्ष,

समस्त विकास प्राधिकरण,
उत्तर प्रदेश।

4. जिलाधिकारी/अध्यक्ष, नियंत्रक प्राधिकारी,

समस्त विनियमित क्षेत्र,
उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 13 जून, 2023

विषय:- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति, 2022 के प्राविधानों का अनुपालन किए जाने सम्बन्धी।

महोदय,

कृपया उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति, 2022 के प्राविधानों का अनुपालन किए जाने सम्बन्धी आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन के शासनादेश संख्या-1829/78-1-2020-05 आई.टी./2022 दिनांक 18 नवम्बर, 2022 एवं नीति के क्रियान्वयन हेतु निर्गत शासनादेश संख्या-10/2023/404/78-1-2023-05 आई.टी./2022 दिनांक 11 अप्रैल, 2023 (छायाप्रतियाँ संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उत्तर प्रदेश के आईटी परिदृश्य को उच्च क्षमता युक्त प्रतिभा तथा विश्वस्तरीय आईटी अवसंरचना सहित, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए एक विश्वसनीय और अग्रणी वैश्विक केन्द्र के रूप में स्थापित करने, नवाचार को बढ़ावा देने तथा सम्पूर्ण प्रदेश को एक सतत आर्थिक विकास की ओर अग्रसर करने के लिए परिकल्पित उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति, 2022 का मुख्य उद्देश्य अवसंरचना, नवाचार, क्षमता निर्माण, निवेश, निर्यात, रोजगार एवं क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना है।

3- उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति, 2022 के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा इकाइयों के लिए प्रोत्साहन/कार्यान्वयन हेतु निम्नवत् प्राविधान हैं:-

3.1 नीति में परिभाषाओं के अन्तर्गत बिन्दु (ठ) में आईटी पार्क्स निम्नवत् परिभाषित है:-

“आईटी पार्क्स का निर्माण न्यूनतम 15,000 वर्गमीटर फ्लोर एरिया क्षेत्र के साथ किया जाता है। परिसर में सार्वजनिक उपयोगिता कार्यालय/सुविधायें शामिल हो भी सकती हैं और नहीं भी। आवंटन योग्य क्षेत्र का 75 प्रतिशत आईटी गतिविधियों के लिए आवंटित होना चाहिए। आईटी पार्क में अधिकांश तकनीकी अवसंरचना जैसे ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, ब्राडबैंड कनेक्टिविटी, वाई-फाई एक्सेस, वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधायें आदि एक आईटी सिटी के समान होती हैं। आईटी पार्क, आईटी सिटी का एक सबसेट है जिसमें सम्पूर्ण क्षेत्र प्रमुख रूप से आई टी गतिविधियों के

I/331888/2023

लिए समर्पित है।”

3.1.1 नीति के प्रस्तर-3.1.7, 3.1.10 एवं 3.1.11 में निम्नवत् प्राविधान हैं:-

“**3.1.7** फ्लोर एरिया रेशियो (एफ.ए.आर.): एफएआर 3 और 1 (तत्समय प्रचलित भवन उप-नियमों के अनुसार क्रय योग्य) आईटी पार्क्स पर लागू।

3.1.10 उ.प्र. औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के नीतिगत प्राविधानों, नियम एवं शर्तों के अनुसार त्वरित आधार पर तरजीही भूमि आवंटन किया जायेगा।

3.1.11 सह-कार्य स्थलों (को-वर्किंग स्पेसेज) की मेजबानी करने वाले आईटी पार्क भी उपरोक्त प्रोत्साहनों के लिए पात्र होंगे।”

3.2 उ.प्र. सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति, 2022 में परिभाषाओं के अन्तर्गत बिन्दु “ग” एवं “घ” में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं को क्रमशः निम्नवत् परिभाषित किया गया है:-

“**(ग)** “सूचना प्रौद्योगिकी” को किसी भी ऐसी सेवा के रूप में परिभाषित किया गया है जो मूल्य संवर्द्धन को साकार करने के लिए आईटी उत्पादों की एक प्रणाली पर किसी भी आईटी सॉफ्टवेयर के उपयोग के परिणामस्वरूप होता है। सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में शामिल हैं:-

एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
इन्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर
ई-मेल सर्विस प्रोवाइडर
वर्ल्ड वाइड वेब सर्विस प्रोवाइडर
ई-कॉमर्स और कन्टेन्ट डेवलपमेण्ट
इलेक्ट्रॉनिक डाटा इन्टरचेन्ज (ई.डी.आई.) सेवायें
वीडियो कन्फ्रेंसिंग
वी-सैट, आईएसडीएन सेवायें
इलेक्ट्रॉनिक डाटा सेन्टर कार्यकलाप

“**(घ)** “सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं” में सम्मिलित हैं मेडिकल ट्रॉसक्रिप्शन, लीगल डाटाबेस प्रोसेसिंग, आईटी, एजुकेशन एण्ड लर्निंग, लीगल प्रोसेस आउट सोर्सिंग, आईपीआर सर्विसेज, डिजिटल कन्टेन्ट डेवलपमेण्ट/ एनिमेशन, रिमोट मेन्टीनेन्स जैसे बिजनेस सेगमेण्ट की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए दूरसंचार नेटवर्क अथवा इन्टरनेट पर वितरित की जाने वाली प्रक्रियायें और सेवायें, बैंक ऑफिस संचालन-लेखा/वित्तीय सेवायें, इलेक्ट्रॉनिक, चिकित्सा और स्वास्थ्य परामर्श, जैसे सूचना विज्ञान, डाटा प्रोसेसिंग तथा कॉल सेन्टर आदि। आईटीईएस में शामिल हैं, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं:-

शोधन एवं विकास
ई-कॉमर्स/ डिजिटल मार्केटप्लेसेज/ ऑनलाइन एग्रीगेटर्स
ग्लोबल कैपेबिलिटी सेन्टर्स
बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेण्ट
कस्टमर इन्टरेक्शन सेवायें यथा कॉल/ कान्टेक्ट सेन्टर तथा ईमेल हेल्प डेस्क
इन्जीनियरिंग एण्ड डिजाइन
बैंक ऑफिस प्रोसेसिंग
फाइनेन्स एण्ड एकाउन्टिंग (सुदूर से प्रदान)

इन्श्योरेन्स क्लेम्स प्रोसेसिंग (सुदूर से प्रदान)
 मानस संसाधन सेवायें (सुदूर से प्रदान)
 वेब साइट विकास तथा अनुरक्षण सेवायें
 डाटा रिसर्च, इन्टीग्रेशन एण्ड एनालिसिस नेटवर्क कन्सल्टिंग एण्ड मैनेजमेण्ट
 रिमोट एजुकेशन
 एनीमेशन (सुदूर से प्रदान)
 गेमिंग
 मार्केट रिसर्च (सुदूर से प्रदान)
 ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन तथा लोकलाइजेशन (सुदूर से प्रदान)

निम्नलिखित के लिए कन्सल्टेन्सी (सुदूर से प्रदान)

आईटी सेक्टर

ई.आर.पी.—एन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (यथा एसएपी, ओराकेल आदि)

सी.आर.एम.—कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेण्ट

एम.आर.एम.—मार्केटिंग रिसोर्स मैनेजमेण्ट

तकनीकी सहायता

बिजनेस सिस्टम एण्ड प्रोसेसेज

डाटा प्रोसेसिंग,
 सिस्टम इन्टीग्रेशन एण्ड कस्टमाइजेशन
 सिस्टम अपग्रेडेशन सर्विसेज
 डिजाइनिंग सिस्टम्स

कॉल सेन्टर्स: (1) वॉयस—इनबाउण्ड तथा आउटबाउण्ड, दोनों

(2) डाटा—इनबाउण्ड तथा आउटबाउण्ड

सॉफ्टवेयर एक्सटेन्शन डेवलपमेण्ट

आईटी फेसिलिटीज मैनेजमेण्ट (सुदूर से प्रदान सहित)

ऐसी अन्य सेवायें, जो समय समय पर अधिसूचित की जायें।”

3.2.1 नीति के प्रस्तर—6 में सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं हेतु प्रोत्साहन के अन्तर्गत निम्नवत् प्राविधान है:—

‘न्यूनतम रु.02 करोड़ के स्थिर पूंजी निवेश सहित नई और विस्तार करने वाली, दोनों प्रकार की इकाइयां इस नीति के अन्तर्गत सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रोत्साहनों हेतु पात्र होंगी।’

उक्त इकाइयों हेतु नीति के प्रस्तर—6.4.6 एवं 6.4.7 में निम्न प्राविधान है:—

6.4.6 फ्लोर एरिया रेशियो (एफ.ए.आर.): एफएआर 3 और 1 (तत्समय प्रचलित भवन उप-नियमों के अनुसार क्रय योग्य) आईटी/आईटीईएस जनित इकाइयों पर लागू।

6.4.7 उपरोक्त गैर-वित्तीय प्रोत्साहन नई इकाइयों और विस्तारित इकाइयों दोनों के लिए अनुमन्य हैं।”

3.2.2 वर्तमान में प्रभावी भवन एवं निर्माण विकास उपविधि के प्रस्तर—3.5.5 में निम्नवत् प्राविधान है:—

I/331888/2023

सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयों को अतिरिक्त एफ.ए.आर.

साफ्टवेयर टेक्नॉलाजी पार्क तथा सूचना प्रौद्योगिकी पार्कों में स्थापित सूचना प्रौद्योगिकी इकाईयों को सामान्यतः अनुमन्य एफ.ए.आर. से 50 प्रतिशत अधिक एफ.ए.आर. अनुमन्य होगा जिसकी सीमा यथास्थिति आवासीय/कार्यालय (जिसका भी एफ.ए.आर. अधिक हो) हेतु अनुमन्य एफ.ए.आर. तक होगी। परन्तु अधिकतम भू-आच्छादन महायोजना/भवन उपविधि/शासनादेशों में निर्धारित मानकों के अनुसार अनुमन्य होगा।”

4- शासन द्वारा सम्यक विचारोपरान्त भवन एवं निर्माण विकास उपविधि-2008 (यथा संशोधित) के उक्त प्रस्तर-3.5.5 को अवक्रमित करते हुए उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति, 2022 से आच्छादित एवं नोडल संस्था उत्तर प्रदेश इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि० द्वारा संस्तुत/अनुमोदन प्राप्त आईटी पार्क, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं के मानचित्रों की अनुज्ञा देते समय नीति के उपरोक्त वर्णित मानकों के अनुसार कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है।

5- इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कृपया शासन के उपर्युक्त निर्णय के अनुसार कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।

संलग्नक: यथोक्त।

भवदीय,

Signed by नितिन रमेश
गोकर्ण

Date: 13-06-2023 09:13:32

Reason: Approved

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- (1) प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उ०प्र० शासन।
- (2) अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ०प्र०।
- (3) प्रमुख सचिव, आई.टी. एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ०प्र० शासन।
- (4) आयुक्त, समस्त मण्डल, उत्तर प्रदेश।
- (5) मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यू०पी०, चतुर्थ तल, ए-ब्लाक, पिकप भवन, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- (6) प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लि०, लखनऊ।
- (7) मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, उ०प्र० लखनऊ।
- (8) निदेशक, आवास बन्धु, उ०प्र० को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश को आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड कराने का कष्ट करें।
- (9) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,
नितिन रमेश गोकर्ण
अपर मुख्य सचिव

उत्तर प्रदेश सूचना प्रौद्योगिकी एवं
सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति-2022

सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग,
उत्तर प्रदेश शासन

शासनादेश संख्या:1829/78-1-2020-05आई0टी0/2022 दिनांक 18 नवम्बर 2022 द्वारा अधिसूचित

विषय सूची

1	प्रस्तावना	3
2	नीतिगत संरचना	4
	2.1 परिकल्पना	4
	2.2 सामरिक उद्देश्य	4
3	अवसंरचना संवर्द्धन	5
	3.1 आईटी पार्क	5
	3.2 आईटी सिटी	6
4	इनोवेशन ईकोसिस्टम को बढ़ावा	7
	4.1 उत्कृष्टता केन्द्र	7
	4.2 अनुसंधान एवं विकास समर्थन	8
5	कौशल विकास	9
6	सूचना प्रौद्योगिकी एवं सू0प्रौ0जनित सेवा इकाइयों हेतु प्रोत्साहन	9
	6.1 नई इकाइयों हेतु वित्तीय प्रोत्साहन	9
	6.1.1 पूंजी उपादान	9
	6.1.2 परिचालन व्यय उपादान	10
	6.1.3 भूमि पर छूट	10
	6.1.4 ब्याज उपादान	11
	6.1.5 स्टैम्प ड्यूटी	11
	6.1.6 रोजगार सृजन हेतु कर्मचारी भविष्य निधि पर अनुदान	11
	6.1.7 रिक्रूटमेण्ट सहायता	11
	6.1.8 प्रमाणीकरण हेतु प्रोत्साहन	12
	6.1.9 पेटेन्ट्स फाइलिंग लागत	12
	6.1.10 घर से काम	12
	6.2 विस्तारित इकाइयों हेतु लाभ	12
	6.3 केस-टू-केस आधार पर प्रोत्साहन	13
	6.4 गैर-वित्तीय प्रोत्साहन	13
7	क्रियान्वयन ढाँचा	14
8	नीति अवधि तथा प्रयोज्यता	15
	परिभाषायें	15-18
	अनुलग्नक 1 : जिलों का वर्गीकरण	19

1. प्रस्तावना

वैश्विक स्तर पर, आईटी और आईटीईएस बाजार के 9प्रतिशत प्रतिवर्ष की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर से (सीएजीआर) से बढ़ने और वित्तीय वर्ष 2025–26 में 11.86 ट्रिलियन डॉलर तक पहुँचने की आशा है। आईटी और आईटीईएस क्षेत्र विशेष रूप से विकासशील देशों में अपार सम्भावनाओं के साथ बड़े पैमाने पर विकास चालक के रूप में उभरा है। भारत में, यह क्षेत्र 2020 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद में लगभग 8प्रतिशत योगदान करने सहित अर्थव्यवस्था के लिए सबसे महत्वपूर्ण विकास उत्प्रेरक बन गया है और कुल निर्यात में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। वित्तीय वर्ष 2022–23 में भारत के आईटी उद्योग का राजस्व बढ़कर 227 अरब डॉलर हो गया जो वार्षिक आधार पर 15.5 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है। मौजूदा रुझानों और नई प्रौद्योगिकियों के प्रारम्भ के आधार पर उद्योग द्वारा वित्तीय वर्ष 2026–27 तक 350 बिलियन डॉलर राजस्व का स्तर प्राप्त कर लेने का अनुमान है। डिजिटल प्रतिभा के वैश्विक केन्द्र के रूप में, भारत का आईटी क्षेत्र अनुमानतः 50 लाख व्यक्तियों को रोजगार देता है और यह महिलाओं का निजी क्षेत्र का सबसे बड़ा नियोक्ता भी है। उत्तर प्रदेश (यूपी), सबसे अधिक आबादी वाला राज्य और देश में दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था, उत्तर भारत के आईटी हब के रूप में जाना जाता है, जो देश में सॉफ्टवेयर निर्यात में छठवें स्थान पर है। उत्तर प्रदेश राज्य में आईटी और आईटीईएस क्षेत्र 12 लाख से अधिक व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करता है। उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी नीति 2017–22 के तहत, राज्य को लगभग 53,000 व्यक्तियों के रोजगार के साथ लगभग 6,300 करोड़ के निवेश प्रस्ताव प्राप्त हुए।

पिछले कई वर्षों में, आईटी और आईटीईएस क्षेत्र उत्तर प्रदेश राज्य में एक उदीयमान क्षेत्र के रूप में विकसित हुआ है और अब गतिशील व्यावसायिक परिवेश में बचे रहने के लिए एक आवश्यकता बन गया है। उत्तर प्रदेश सरकार आईटी और आईटीईएस क्षेत्र के इस प्रभुत्व को पहचानती है तथा आईटी और आईटीईएस उद्योग के लिए अनुकूल माहौल बनाने के लिए प्रभावी नीति कार्यान्वयन के माध्यम से बुनियादी ढाँचे और मानव पूंजी विकास को विकसित करने पर ध्यान केन्द्रित कर रही है। इस सन्दर्भ में, राज्य में बड़ी संख्या में विश्वविद्यालय, तकनीकी महाविद्यालय और औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान हैं, जहाँ से उच्च गुणवत्ता वाली जनशक्ति उपलब्ध होती है। आईआईटी कानपुर, आईआईटी बीएचयू, वाराणसी, मोतीलाल नेहरू राष्ट्रीय तकनीकी संस्थान, प्रयागराज सहित देश के कई शीर्ष संस्थान उत्तर प्रदेश में स्थित हैं जो सर्वोत्तम श्रेणी के बुनियादी ढाँचे और शिक्षा के अवसर प्रदान करते हैं।

इस नीति का उद्देश्य एक सुदृढ़ व्यावसायिक माहौल को सक्षम करके आईटी सिटी, आईटी पार्क्स तथा आर्टिफिशियल इन्टेलिजेंस, ब्लॉकचेन, बिग डाटा, क्लाउड कम्प्यूटिंग तथा इन्टरनेट ऑफ थिंग्स जैसी उदीयमान प्रौद्योगिकियों के क्षेत्र में उत्कृष्टता के केन्द्रों की स्थापना के माध्यम से राज्य में एक तकनीकी बदलाव की दिशा में सहयोग और समेकन को प्रोत्साहित करके इस क्षेत्र के लिए एक सुदृढ़ ईकोसिस्टम का निर्माण करना है। इसके अन्तर्गत नवचार

में तीव्रता लाने तथा नवाचार विशिष्ट (इन्नोवेशन स्पेसिफिक) वित्तपोषण के परिचालन के लिए वैश्विक सर्वोत्तम प्रथाओं के अनुरूप सुदृढ़ उद्योग-अकादमिक सहयोग तथा सर्वोत्तम श्रेणी के बुनियादी ढाँचे सहित डेडीकेटेड इन्वेंशन हब द्वारा एक अनुकूल नियामक परिदृश्य के सक्षम किया जाना प्रस्तावित है। माननीय प्रधानमंत्री जी के 'डिजिटल इण्डिया' तथा 'रिफॉर्म, परफॉर्म एण्ड ट्रॉसफॉर्म' मन्त्र के दृष्टिकोण के अनुरूप उत्तर प्रदेश सरकार स्वयं को एक डिजिटल रूप से सशक्त समाज और ज्ञान-अर्थव्यवस्था के रूप में बदल रही है जिससे 2027 तक 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने के लक्ष्य के अनुरूप निवेश हेतु सपनों की मँजिल बनने का मार्ग प्रशस्त हो रहा है।

उत्तर प्रदेश, जिसे हाल ही में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' रैंकिंग में एक एचीवर राज्य के रूप में वर्गीकृत किया गया है, ने श्रम विनियमन, भूमि प्रशासन, सूचना तक पहुंच और पारदर्शिता, ऑनलाइन सिंगल विन्डो और निर्माण अनुमतियों आदि से सम्बन्धित कई व्यापक सुधारों के कार्यान्वयन के माध्यम से वृहद प्रगति की है। उद्योग बन्धु एक समर्पित राजकीय निकाय है जो राज्य में अपना व्यवसाय स्थापित करने की योजना बना रहे निवेशकों के लिए आवश्यक सहायता प्रदान करता है। इसके अतिरिक्त 29 विभागों से 353 सेवायें प्रदान करने वाला एक समर्पित सिंगल विन्डो क्लियरेंस पोर्टल – निवेश मित्र, विभिन्न अनुमोदनों को तीव्रता और समयबद्ध रूप से जारी करने की सुविधा के लिए स्थापित किया गया है। इस पोर्टल द्वारा सफलतापूर्वक लगभग 7.7 लाख आवेदनों को निर्धारित समय के अन्दर स्वीकृतियों प्रदान की गई हैं।

2. नीतिगत संरचना

2.1 परिकल्पना

उत्तर प्रदेश के आईटी परिदृश्य को उच्च क्षमता युक्त प्रतिभा तथा विश्वस्तरीय आईटी अवसंरचना सहित, सूचना प्रौद्योगिकी के लिए एक विश्वसनीय और अग्रणी वैश्विक केन्द्र के रूप में स्थापित करने के लिए बदलना, नवाचार को बढ़ावा देना तथा सम्पूर्ण प्रदेश को एक सतत आर्थिक विकास की ओर अग्रसर करना।

2.2 सामरिक उद्देश्य

इस सूचना प्रौद्योगिकी और सू0प्रौ0जनित सेवा नीति के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य का प्रयोजन निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना है:-

2.2.1 अवसंरचना : राज्य में आईटी पार्क्स, आईटी सिटी विकसित करके नवीन और उन्नत प्रौद्योगिकियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आईटी/आईटीईएस क्षेत्र के लिए सर्वोत्तम श्रेणी के बुनियादी ढाँचे के विकास की सुविधा।

2.2.2 नवाचार : मेन्टर्स तक पहुँच के रूप में एक सक्षम तंत्र प्रदान करके इन्वेंशन ईकोसिस्टम को प्रोत्साहन, उत्कृष्टता के केन्द्रों की स्थापना तथा उदीयमान प्रौद्योगिकियों पर ध्यान देने के साथ अनुसन्धान और विकास को बढ़ावा।

- 2.2.3 क्षमता निर्माण :** अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी (यथा डाटा एनालिटिक्स, इन्टरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स, मशीन लर्निंग आदि) पर मौजूदा और युवा कार्यबल के कौशल स्तर को बढ़ाना तथा उद्योग के लिए तैयार एक प्रतिभा पूल का विकास।
- 2.2.4 निवेश :** निवेशक सुविधा को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी कम्पनियों के लिए उत्तर प्रदेश को एक पसन्दीदा निवेश गन्तव्य बनाना तथा नीति अवधि के दौरान घरेलू और साथ ही विदेशी निवेश को आकर्षित करना।
- 2.2.5 निर्यात :** उत्तर प्रदेश के अन्दर एसटीपीआई में स्थापित इकाइयों के लिए सिंगल विन्डो क्लीयरेंस प्रदान करने सहित इस क्षेत्र में भारत के निर्यात में काफी अधिक योगदान करने के लिए राज्य के आईटी/आईटीईएस क्षेत्र की निर्यात क्षमता को बढ़ावा देना।
- 2.2.6 रोजगार :** स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन देकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के राज्यव्यापी अवसर प्रदान करना।
- 2.2.7 क्षेत्रीय विकास :** सम्पूर्ण प्रदेश में आईटी/आईटीईएस इकाइयों की स्थापना के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन के माध्यम से आईटी पैठ तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना।

3. अवसंरचना संवर्द्धन

उत्तर प्रदेश में पहले से ही बड़ी संख्या में आईटी/आईटीईएस कम्पनियाँ हैं, जिन्होंने राज्य में अपनी इकाइयाँ स्थापित की हैं। एचसीएल ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के सहयोग से परिचालन और कौशल विकास गतिविधियों के लिए 100 एकड़ में एक समर्पित आईटी सिटी स्थापित किया है। राज्य में वर्तमान में नोएडा, मेरठ, लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज में उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से विकसित एसटीपीआई पार्क्स संचालित हैं। आगरा में एक और आईटी पार्क शीघ्र ही चालू हो जायेगा। तीन अन्य एसटीपीआई पार्क वाराणसी, बरेली तथा गोरखपुर नगरों में विकसित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार सुगम आवागमन वाले स्थान पर रेडी-टू-आक्यूपाई कार्यस्थानों के विकास को सहयोग प्रदान कर आईटी ईकोसिस्टम को प्रोत्साहन प्रदान करेगी जिससे आईटी/आईटीईएस इकाइयों को राज्य के अन्दर अपना परिचालन तत्काल आरम्भ करने में सुविधा होगी। आईटी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इस नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित पहल किए जाने का प्रस्ताव है:-

3.1 आईटी पार्क

- 3.1.1** गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद जिलों को छोड़कर राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक राजस्व मण्डल में एक ग्रीनफील्ड आईटी पार्क के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र से सम्बन्धित मण्डलों में प्रस्तावित आईटी पार्क की स्थापना ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र से आच्छादित किसी जनपद में कराई जायेगी। प्रत्येक राजस्व मण्डल के अन्दर आईटी पार्क के निर्माण के लिए पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर पूंजीगत व्यय सहायता प्रदान की

जायेगी। किसी अन्य अतिरिक्त आईटी पार्क के लिए प्रोत्साहन की समीक्षा सशक्त समिति द्वारा की जायेगी तथा प्रकरण का निस्तारण केस-टू-केस आधार पर किया जायेगा।

- 3.1.2 आईटी पार्क के विकास हेतु किए गए पात्र पूंजीगत व्यय की 25 प्रतिशत सहायता प्रदान की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा रु 20 करोड़ होगी।
- 3.1.3 पूंजीगत व्यय में, भूमि की लागत को छोड़कर, भवन निर्माण तथा अवरस्थापना सुविधाओं पर किया गया व्यय सम्मिलित होगा।
- 3.1.4 उपरोक्त प्रोत्साहनों का 80 प्रतिशत कुल परियोजना लागत के 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 75 प्रतिशत तथा 100 प्रतिशत पर किये गये व्यय के आधार पर चार किशतों में प्रदान किया जायेगा। अन्तिम 20 प्रतिशत सहायता बिल्ट-अप फ्लोर क्षेत्र का 50 प्रतिशत, इकाइयों को उनके वाणिज्यिक परिचालन के लिए आवंटित/पट्टे पर दिये जाने के बाद जारी की जायेगी।
- 3.1.5 विकासकर्ता द्वारा भूमि के क्रय/पट्टे पर स्टाम्प शुल्क पर 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।
- 3.1.6 सरकार द्वारा वाह्य अवसंरचना सुविधाओं अर्थात् सड़कों (लोक निर्माण विभाग द्वारा), विद्युत अवसंरचना (ऊर्जा विभाग) के विकास के लिए सहायता प्रदान की जायेगी। भवन अनापत्ति प्राप्त करने में भी सहयोग दिया जायेगा।
- 3.1.7 फ्लोर एरिया रेशियो (एफ.ए.आर.): एफएआर 3 और 1 (तत्समय प्रचलित भवन उप-नियमों के अनुसार क्रय योग्य) आईटी पार्क्स पर लागू।
- 3.1.8 इन प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए अर्ह आईटी पार्क्स पर सशक्त समिति द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।
- 3.1.9 विकासकर्ताओं के संघ (कन्सोर्टियम) की भी अनुमति होगी।
- 3.1.10 उ0प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के नीतिगत प्राविधानों, नियम एवं शर्तों के अनुसार त्वरित आधार पर तरजीही भूमि आवंटन किया जायेगा।
- 3.1.11 सह-कार्यस्थलों (को-वर्किंग स्पेसेज) की मेजबानी करने वाले आईटी पार्क भी उपरोक्त प्रोत्साहनों के लिए पात्र होंगे।

3.2 आईटी सिटी

- 3.2.1 आईटी सिटी एक ऐसे क्षेत्र को संदर्भित करता है जहां आईटी/आईटीईएस गतिविधियों और 'पदयात्रा द्वारा कार्य संस्कृति' को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा मौजूद है। इसमें आवासीय एवं वाणिज्यिक परिसरों के साथ आईटी/आईटीईएस कार्यालय स्थल/आईटी पार्क, सह-कार्यस्थल शामिल हैं और सभागार, फूड कोर्ट, व्यायामशाला, सम्मेलन कक्ष आदि शामिल हो सकते हैं।

- 3.2.2 राज्य सरकार द्वारा पश्चिमांचल (ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र के आगरा जनपद), मध्यांचल, पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड – प्रत्येक क्षेत्र में एक आईटी सिटी विकसित करने और इस प्रकार सम्पूर्ण राज्य में आईटी इकाइयों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास है।
- 3.2.3 सरकार वैश्विक मानकों के अनुरूप आधुनिक सुविधाओं सहित, समर्पित अत्याधुनिक आईटी सिटी के विकास के लिए विकासकर्ताओं/विकासकर्ताओं के संघ को प्रोत्साहित करेगी। सहायता निम्नलिखित प्रोत्साहनों के माध्यम से प्रदान की जायेगी:-

- जोनिंग/भूमि उपयोग कानूनों में शिथिलता
- लचीले प्लोर स्पेस इन्डेक्स (एसएसआई) मानदण्ड लागू करना
- यूटिलिटीज डोरस्टेप सहायता का विस्तार
- आवश्यक सांविधिक स्वीकृतियों की प्राप्ति में सहायता
- विकासकर्ता द्वारा भूमि का क्रय करने/पट्टे पर लेने पर स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत छूट
- पूंजीगत व्यय सहायता – आईटी सिटी के विकास के लिए किये गये पात्र पूंजीगत व्यय के 25 प्रतिशत का एकमुश्त सहयोग रु 100 करोड़ की अधिकतम सीमा सहित, प्रदान किया जायेगा। पात्र पूंजीगत व्यय में भूमि की लागत को छोड़कर भवन निर्माण तथा अवसंरचना सुविधायें सम्मिलित होंगी। इसके अतिरिक्त, केवल प्रसंस्करण क्षेत्र (प्रोसेसिंग एरिया) में किये गये पूंजीगत व्यय को पात्र माना जायेगा। विकासकर्ता को पात्र पूंजीगत व्यय का 80प्रतिशत कुल परियोजना लागत के 25प्रतिशत, 50प्रतिशत, 75प्रतिशत तथा 100प्रतिशत पर किये गये व्यय के आधार पर चार किशतों में प्रदान किया जायेगा। अन्तिम 20प्रतिशत सहायता बिल्ट-अप प्लोर क्षेत्र का 50प्रतिशत, इकाइयों को उनके वाणिज्यिक परिचालन के लिए आवंटित/पट्टे पर दिये जाने के बाद जारी की जायेगी।
- राज्य मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से सशक्त समिति की अनुशंसा पर केस-टू-केस आधार पर (विस्तारित पूंजीगत व्यय सहायता सहित) अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किये जा सकते हैं।

4 इनोवेशन ईकोसिस्टम को बढ़ावा

इस नीति में निम्नलिखित पहल के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहित करने वाला एक ईकोसिस्टम बनाया जाना प्रस्तावित है:-

4.1 उत्कृष्टता के केन्द्र

- 4.1.1 नीति में आईटी/आईटीईएस क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केन्द्र (सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स) के रूप में विश्वस्तरीय बुनियादी ढाँचा बनाने की परिकल्पना की गई है।
- 4.1.2 नीति का लक्ष्य प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों तथा/अथवा उद्योग संघों/ उद्योग अथवा किसी अन्य सरकारी/निजी संस्था के सहयोग से 3 उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना किया जाना है, उत्कृष्टता केन्द्र की कुल परियोजना लागत का 50प्रतिशत (अधिकतम रु 10 करोड़ के अधीन) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।
- 4.1.3 सशक्त समिति उत्कृष्टता के केन्द्र की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान करने के लिए सक्षम होगी।

4.2 अनुसंधान एवं विकास सहायता

सरकार द्वारा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर) / वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा इस प्रयोजन हेतु गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित स्टैण्डएलोन/इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों तथा डिजाइन सेन्टर्स को समर्थन प्रदान किया जायेगा।

- 4.2.1 वित्तीय सहायता 5 वर्षों की अवधि में एक इकाई के लिए अधिकतम रु 5 करोड़ की सीमा तक, पात्र अनुसंधान एवं विकास व्यय के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति (पूँजी और परिचालन व्यय को सम्मिलित करते हुए) के रूप में प्रदान की जायेगी।
- 4.2.2 पात्र प्रतिपूर्ति राशि की 50 प्रतिशत धनराशि अर्द्धवार्षिक आधार पर प्रदान की जायेगी तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि उत्पाद/शोध एवं विकास गतिविधियों के सफल विकास के उपरान्त संवितरित की जायेगी।
- 4.2.3 अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां जिन्हें इस प्राविधान के माध्यम से प्रोत्साहन प्रदान किया जाना है, आईटी/आईटीईएस के क्षेत्र में नवीन अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में सम्मिलित होना अपेक्षित है। इस प्रकार की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को इकाई के व्यवसाय की प्रकृति यथा नई प्रौद्योगिकियों का विकास, डिजाइन और इन्जीनियरिंग, उत्पाद विकास, विश्लेषण और परीक्षण की नई विधियों का विकास तथा संसाधनों के उपयोग में दक्षता वृद्धि के लिए अनुसंधान इत्यादि से सम्बन्धित होना चाहिए। आवेदन के समय अनुसंधान एवं विकास इकाई(यों) के पास भली प्रकार से पारिभाषित, समयबद्ध अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम होने चाहिए जो नवीन उत्पादों और/ अथवा प्रौद्योगिकी(यों) के विकास के लिए हों। पूरी तरह से बाजार अनुसंधान, कार्य और विधियों के अध्ययन, संचालन और प्रबन्धन अनुसंधान, संचालन, प्रक्रिया नियंत्रण, गुणवत्ता नियंत्रण तथा दिन-प्रतिदिन के उत्पादन के रख-रखाव और संयंत्र के रख-रखाव के लिए नियमित प्रकृति के परीक्षण और विश्लेषण में लगी इकाइयों को शोधन एवं विकास केन्द्र नहीं माना जायेगा।

- 4.2.4 एक नये अनुसंधान एवं विकास गतिविधि के लिए अनुसंधान एवं विकास व्यय करने वाली उत्तर प्रदेश में स्थापित विद्यमान इकाइयों इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।
- 4.2.5 इस प्राविधान के तहत प्रस्ताव में शोध एवं विकास उपकरण से सम्बन्धित किसी भी पूंजीगत व्यय को सम्मिलित नहीं किया जायेगा, जिस पर पहले ही धारा 6 के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्रदान किया जा चुका हो।

5 कौशल विकास

कुशल सूचना प्रौद्योगिकी जनशक्ति की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने और कौशल की मांग और आपूर्ति के बीच विद्यमान अन्तर को कम करने के लिए, एक ऐसी पहल आरम्भ करने की अनिवार्य आवश्यकता है जो वृद्धिमान अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने की चुनौती का समाधान कर सकेगी। सरकार इस नीति के माध्यम से मौजूदा और नये कार्यबल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित पहल करेगी:-

- 5.1 उदीयमान प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में प्रमाणन पूरा करने के लिए प्रोफेशनल्स/कार्मिकों और छात्रों को प्रोत्साहित किया जाना। सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी के पाठ्यक्रम शुल्क के 50 प्रतिशत, रु 50,000/- तक की प्रतिपूर्ति की जायेगी। आईटी/आईटीईएस कम्पनियों, उद्योग संघों, शैक्षणिक संस्थानों आदि की एक स्थायी समिति द्वारा प्रशिक्षण प्रदाताओं की सूची पर, उनके पैनल सहित परामर्श प्रदान किया जायेगा एवं पाठ्यक्रमों का निर्धारण किया जायेगा, जिन्हें उद्योग के रुझान तथा जरूरतों के अनुसार आवधिक आधार पर संशोधित किया जा सकता है।
- 5.2 यूपी कौशल विकास मिशन (एसडीएम) आईटी/आईटीईएस क्षेत्र से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों पर प्रशिक्षण देने के लिए प्रमुख उद्योग संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग करेगा।

6. सूचना प्रौद्योगिकी एवं सू0प्रौ0जनित सेवा इकाइयों हेतु प्रोत्साहन

राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में अपनी इकाइयों स्थापित करने वाली सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0जनित सेवा कम्पनियों को विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किये जायेंगे। न्यूनतम रु 2 करोड़ के स्थिर पूंजी निवेश सहित नई और विस्तार करने वाली, दोनों प्रकार की इकाइयां इस नीति के अन्तर्गत सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रोत्साहनों हेतु पात्र होंगी। न्यूनतम रु 2 करोड़ के स्थिर पूंजी निवेश (एफ.सी.आई.) करने वाली नई इकाइयों निम्नवत प्रोत्साहनों हेतु पात्र होगी :-

6.1 नई इकाइयों हेतु वित्तीय प्रोत्साहन

6.1.1 पूंजी उपादान

न्यूनतम रु 5 करोड़ के स्थिर पूंजी निवेश पर पात्र सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0जनित सेवा इकाइयों को स्थिर पूंजी निवेश पर 10 प्रतिशत की दर से पूंजी उपादान प्रदान किया जायेगा, जिसकी अधिकतम सीमा रु 50 करोड़ होगी। इसका संवितरण वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ होने के पश्चात पांच वर्षों में वार्षिक किश्तों में किया जाएगा और प्रत्येक वार्षिक किश्त रु 10 करोड़ से अधिक नहीं होगी।

6.1.2 परिचालन व्यय उपादान

इस नीति के माध्यम से सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0जनित सेवा इकाइयों द्वारा किये गये परिचालन व्यय के लिए उपादान प्रदान किया जायेगा। सभी पात्र इकाइयां निम्नलिखित परिचालन व्ययों पर 10 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति का लाभ उठा सकती हैं:—

- i **लीज रेन्टल्स:** सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0जनित सेवा इकाई की स्थापना हेतु कार्यालय स्थल पट्टे पर लेने के लिए किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति वास्तविक लीज रेन्ट के आधार पर की जायेगी, जो अधिकतम रु 50/— प्रति वर्ग फुट मासिक किराये के अधीन होगी। अपना परिचालन सह-कार्यस्थलों से करने वाली इकाइयों के लिए भी यह उपलब्ध होगा।
- ii **बैण्डविड्थ व्यय:** लाइसेन्स प्राप्त इन्टरनेट सेवा प्रदाता को बैण्डविड्थ कनेक्टिविटी पर किये गये वास्तविक व्यय का भुगतान।
- iii **डाटा सेन्टर/क्लाउड सेवा लागत:** डाटा सेन्टर अथवा क्लाउड सेवाओं का लाभ उठाने पर होने वाला वास्तविक व्यय, इस प्रतिबन्ध सहित कि सेवा प्रदाता उत्तर प्रदेश के अन्दर अवस्थित हो तथा उसके पास उत्तर प्रदेश वस्तु और सेवा कर अधिनियम के तहत वैध जीएसटी आईडेंटिफिकेशन नम्बर हो, जिससे सेवाओं के लिए चालान जारी किया गया हो।
- iv **विद्युत शुल्क:** सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0जनित सेवा इकाई के परिचालन हेतु उपभोग की गई विद्युत यूनिट के लिए भुगतान किया गया वास्तविक विद्युत शुल्क

यह उपादान वाणिज्यिक परिचालन होने से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जायेगा और कुल राशि प्रति वर्ष रु 20 करोड़ तक सीमित रहेगी।

6.1.3 भूमि पर छूट

- i इस नीति में उल्लिखित मानदण्डों को पूरा करने पर, उत्तर प्रदेश में क्रय की गई भूमि पर सरकार द्वारा छूट प्रदान की जायेगी।
- ii भूमि की लागत पर 25 प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्रदान की जायेगी जो अधिकतम रु 50 करोड़ की छूट तथा निम्नानुसार क्षेत्रवार न्यूनतम रोजगार मानदण्डों को पूरा करने के प्रतिबन्ध के अधीन होगी।

क्षेत्र	न्यूनतम रोजगार
पश्चिमांचल (ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र को छोड़कर)	प्रति एकड़ भूमि 200 कार्मिक
मध्यांचल	प्रति एकड़ भूमि 150 कार्मिक
बुन्देलखण्ड/पूर्वांचल/ ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र	प्रति एकड़ भूमि 100 कार्मिक
अभ्युक्ति: बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल, मध्यांचल तथा पश्चिमांचल क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जनपदों की सूची अनुलग्नक-1 पर दी गई है।	

- iii प्रदत्त रोजगार निरन्तर एक वर्ष की अवधि के लिए होना चाहिए।
- iv यदि भूमि राज्य अभिकरण द्वारा आवंटित है तो भुगतान किये गए वास्तविक आवंटन मूल्य को भूमि की लागत (स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन शुल्क को छोड़कर) के रूप में माना जायेगा। निजी भूमि के क्रय पर भूमि का मूल्य प्रचलित सर्किल दरों अथवा वास्तविक क्रय मूल्य, जो भी कम हो, के अनुसार मानी जायेगी।

6.1.4 ब्याज उपादान

अधिसूचित बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिये गये सावधि ऋण पर 7 प्रतिशत अथवा वास्तविक भुगतान किया गया ब्याज, जो भी कम हो, वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ होने के पश्चात 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जायेगा जिसकी अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रु 1.00 करोड़ होगी।

6.1.5 स्टाम्प शुल्क

सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0जनित सेवा हेतु उपयोग के लिए भूमि/कार्यालय स्थान/भवन के क्रय/पट्टे पर लेने हेतु स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत छूट, इस नीति की धारा 8.3 में निर्धारित समय सीमा के अन्दर परिचालन आरम्भ करने के प्रतिबन्ध सहित।

6.1.6 रोजगार सृजन हेतु कर्मचारी भविष्य निधि पर अनुदान

वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ होने के उपरान्त 1 वर्ष के निरन्तर रोजगार तथा उत्तर प्रदेश में अधिवास वाले आईटी/आईटीईएस प्रोफेशनल्स के लिए अदा की गई कुल भविष्य निधि धनराशि की 100प्रतिशत प्रतिपूर्ति, प्रति कार्मिक रु 2000/- प्रतिमास तथा रु 1 करोड़ प्रति वर्ष प्रति इकाई की सीमा सहित 5 वर्ष तक इकाई को प्रदान किया जायेगा। यह प्रोत्साहन केवल महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ट्रांसजेन्डर/दिव्यांगजन कार्मिकों के लिए अनुमन्य है।

6.1.7 रिक्रूटमेण्ट सहायता

- i आईटी/आईटीईएस के क्षेत्र में न्यूनतम 1 वर्ष के निरन्तर रोजगार और कम से कम 30 छात्रों की वार्षिक भर्ती के प्रतिबन्ध सहित उत्तर प्रदेश (गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद जनपदों को छोड़कर) में अवस्थित इकाइयों को प्रति कार्मिक रु 20,000 की रिक्रूटमेण्ट सहायता।
- ii यह सहायता केवल उनकी प्रथम नौकरी के लिए भरती किये गये कार्मिकों के लिए अनुमन्य है, जो न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश स्थित इकाइयों में तैनात हों। कर्मचारी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी तथा उत्तर प्रदेश स्थित महाविद्यालय से हो।
- iii इस सहायता का लाभ परिचालन प्रारम्भ होने की 5 वर्ष की अवधि के लिए लिया जा सकता है।

- iv उत्तर प्रदेश स्थित कॉलेजों के अभ्यर्थियों की भर्ती में सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0जनित सेवा कम्पनियों की सहायता तथा इस प्राविधान के अनुसार लाभ प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल विकास विभाग के परामर्श से एक तन्त्र विकसित किया जायेगा।

6.1.8 प्रमाणीकरण हेतु प्रोत्साहन

सुरक्षा के लिए आईएसओ 27001, सेवा प्रबन्धन शब्दावली के लिए आईएसओ 20000, सीओपीसी, ईएससीएम जैसे गुणवत्ता और आईटी से सम्बन्धित क्षमता परिपक्वता मॉडल (सीएमए) स्तर एवं उच्चतर प्रमाणपत्र सफलतापूर्वक प्राप्त करने पर राज्य में परिचालनरत आईटी/आईटीएस कम्पनी द्वारा अधिकतम 3 प्रमाण-पत्रों हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति कुल रु 25 लाख प्रति इकाई की सीमा सहित। इस क्षेत्र से सम्बन्धित इस प्रकार के प्रमाणन समय-समय पर सशक्त समिति के अनुमोदन से सम्मिलित किये जायेंगे।

6.1.9 पेटेन्ट फाइलिंग लागत

अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, राज्य के अन्दर स्थित इकाइयों द्वारा पेटेन्ट फाइलिंग की लागत को आच्छादित करने के लिए सहायता प्रदान की जायेगी। स्वीकृत पेटेन्ट पर वास्तविक फाइलिंग लागत के 100 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति की जायेगी जो घरेलू पेटेन्ट्स हेतु अधिकतम रु 5,00,000 तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्ट्स हेतु रु 10,00,000 होगी।

6.1.10 घर से काम

इकाइयों इस नीति के तहत रोजगार सृजन उपादान, भविष्य निधि की प्रतिपूर्ति तथा रोजगार से जुड़े अन्य हितलाभ के लिए पात्र होंगी, जोकि उत्तर प्रदेश में घर से काम करने वाले/ऐसे अन्य परिसरों से काम करने वाले कर्मचारियों से सम्बन्धित हैं।

6.2 विस्तारित इकाइयों हेतु लाभ

विस्तारित इकाइयों जिनकी न्यूनतम वृद्धिशील स्थिर पूंजी (जो इकाई के विस्तार के लिये पात्र स्थिर पूंजी निवेश के रूप में अर्ह है) रु 2 करोड़ है, वह निम्नवत प्रोत्साहन के लिये पात्र होंगे:-

6.2.1 पात्र विस्तारित इकाइयां वृद्धिशील स्थिर पूंजी निवेश (एफसीआई) पर 10 प्रतिशत की दर से पूंजी उपादान का दावा करने के लिए पात्र होंगी, जो पात्र आईटी/आईटीएस इकाइयों को अधिकतम 50 करोड़ रुपये के उपादान के अधीन होगी।

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की प्रतिपूर्ति और भर्ती सहायता, नई इकाइयों के लिए उपरोक्त उल्लिखित दर पर और उन्हीं नियमों और शर्तों के अनुरूप प्रदान की जाएगी। विस्तार से पूर्व वर्ष के दौरान औसत कर्मचारी हेडकाउंट को बेसलाइन कर्मचारी

हेडकाउंट माना जाएगा। रोजगार संबंधी लाभों के लिए केवल बेसलाइन हेडकाउंट के ऊपर और अतिरिक्त वृद्धिशील हेडकाउंट पर विचार किया जाता है।

6.3 केस-टू-केस आधारित प्रोत्साहन

6.3.1 आईटी/आईटीएस मेगा निवेश इकाई के लिए: पूंजी निवेश अथवा रोजगार सृजन की आवश्यकता को निम्नानुसार पूर्ण करने वाले वृहद आईटी/आईटीईएस परियोजनाओं के लिए केस-टू-केस आधार पर विशेष प्रोत्साहन दिये जा सकते हैं:-

अवस्थिति	न्यूनतम पात्रता अपेक्षायें
गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद	रु 250 करोड़ से अधिक निवेश अथवा 3000 प्रोफेशनल्स हेतु रोजगार
शेष उत्तर प्रदेश	रु 100 करोड़ से अधिक निवेश अथवा 1000 प्रोफेशनल्स हेतु रोजगार
प्रस्तावित प्रोत्साहन पूंजी उपादान, परिचालन व्यय प्रतिपूर्ति, ब्याज उपादान, स्टाम्पशुल्क छूट, भविष्य निधि प्रतिपूर्ति, रिक्रूटमेंट सहायता, भूमि लागत प्रतिपूर्ति आदि के रूप में होंगे। राज्य मंत्रिपरिषद के अनुमोदन अधीन, सशक्त समिति की अनुशंसा पर वित्तीय प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा में छूट दी जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा एक समर्पित नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी जो सभी सम्बन्धित विभागों के साथ बेहतर समन्वयन के लिए सम्पर्क के एकल बिन्दु के रूप में कार्य करेगा और सुनिश्चित करेगा कि सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध हो।	

6.4 गैर वित्तीय प्रोत्साहन

6.4.1 आईटी/आईटीईएस उद्योग के लिए 25 केवीए से अधिक क्षमता के विद्युत जनरेटिंग सेट्स को छोड़कर, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम की परिधि से छूट।

6.4.2 विशिष्ट शिकायतों की स्थिति को छोड़कर, आईटी/आईटीईएस उद्योगों को प्रस्तर-6.4.3 में उल्लिखित अधिनियमों और उनके अधीन नियमों के अन्तर्गत निरीक्षण से छूट होगी। इस प्राविधान के तहत इकाइयां प्रत्येक 5 वर्ष में केवल एक बार निरीक्षण हेतु पात्र होंगी।

6.4.3 सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योगों द्वारा निर्धारित प्रारूपों पर, जो भी लागू हो स्व-प्रमाणन (समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है) प्रस्तुत करने हेतु अनुमति होगी:-

- I. कारखाना अधिनियम (The Factories Act)
- II. मातृत्व लाभ अधिनियम (The Maternity Benefit Act)
- III. दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम (The Shops & Establishments Act)

- IV. संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम [The Contract Labour (Regulations & Abolition Act)]
 - V. पारिश्रमिक भुगतान अधिनियम (Payment of Wages Act)
 - VI. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (Minimum Wages Act)
 - VII. सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम [The Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act]
- 6.4.4 सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवाओं वाली कम्पनियों को सप्ताह के सातों दिन, प्रतिदिन 24 घण्टे – (तीन पालियों में परिचालन) तथा सभी पालियों में महिलाओं को काम करने की अनुमति होगी।
- 6.4.5 जब कभी आवश्यक हो, कतिपय आईटी/आईटीईएस इकाइयों को “आवश्यक सेवाओं”/सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के रूप में अधिसूचित कर सकती है।
- 6.4.6 फ्लोर एरिया रेशियो (एफ.ए.आर.): एफएआर 3 और 1 (तत्समय प्रचलित भवन उप-नियमों के अनुसार क्रय योग्य) आईटी/ आईटीईएस जनित सेवा इकाइयों पर लागू।
- 6.4.7 उपरोक्त गैर-वित्तीय प्रोत्साहन नई इकाइयों और विस्तारित इकाइयों दोनों के लिए अनुमन्य हैं।

7. क्रियान्वयन ढांचा

7.1 राज्य स्तरीय सशक्त समिति

- 7.1.1 मुख्य सचिव की अध्यक्षता में गठित एक राज्य स्तरीय सशक्त समिति द्वारा उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0जनित सेवा नीति के विकास और इसके क्रियान्वयन का अनुश्रवण किया जायेगा।
- 7.1.2 सशक्त समिति द्वारा अंतर्विभागीय समन्वयन तथा निवेशकों की शिकायतों के निवण के लिए आईटी सिटी/आईटी पार्क/वृहद आईटी/आईटीईएस परियोजनाओं/उत्कृष्टता के केन्द्रों के विकास हेतु केस-टू-केस आधार पर निवेश के लिए संस्तुति/अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।

7.2 नीति कार्यान्वयन इकाई

- 7.2.1 अपर मुख्य सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग की अध्यक्षता में एक नीति कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू) गठित की जायेगी। नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा इस नीति के प्रभावी और सफल क्रियान्वयन से सम्बन्धित मामलों पर निर्णय लिया जायेगा।
- 7.2.2 पीआईयू उत्तर प्रदेश में स्थापित आईटी/आईटीईएस इकाइयों के लिए लागू प्रोत्साहनों के लिए अनुशंसा तथा अनुमोदन प्रदान करने के लिए जिम्मेदारी होगी। यह किसी भी शिकायत का सामयिक निवारण प्रदान करेगी तथा आवश्यक मार्गदर्शन और सहायता की सुविधा प्रदान करेगी। यदि पीआईयू किसी विशिष्ट बिन्दु पर निर्णय लेने में सक्षम नहीं है तो उसे मुख्य सचिव की अध्यक्षता वाली सशक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा।

7.3 नोडल संस्था

7.3.1 यूपी इलेक्ट्रानिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) इस नीति के क्रियान्वयन हेतु नोडल संस्था होगी।

7.4 परियोजना प्रबन्धन इकाई

7.4.1 नोडल संस्था के तहत आउटसोर्स प्रोफेशनल्स तथा कन्सल्टेण्ट्स को शामिल करते हुए एक समर्पित परियोजना प्रबन्धन इकाई (पीएमयू) का गठन किया जायेगा ताकि कार्यान्वयन में सहायता और अनुश्रवण किया जा सके।

8. नीति अवधि तथा प्रयोज्यता

- 8.1 यह नीति इसकी अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी और 5 वर्ष की अवधि के लिए अथवा नई नीति की उद्घोषणा होने तक प्रभावी रहेगी।
- 8.2 नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित इकाइयों को प्रोत्साहन उपलब्ध होगा:—
- 8.2.1 इस नीति की अधिसूचना के उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव।
- 8.2.2 नीति के तहत प्रोत्साहन नई इकाइयों तथा विस्तारीकरण का प्रस्ताव करने वाली दोनो प्रकार की इकाइयों के लिए अनुमन्य हैं।
- 8.3 इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली इकाइयों द्वारा निम्नवत समय-सीमा के अन्दर वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ किया जायेगा:—

पात्र स्थिर पूंजी निवेश	वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ करने हेतु समय सीमा
रु 200 करोड़ तक	लेटर ऑफ कम्फर्ट (एल.ओ.सी.) निर्गमन की तिथि से 4 वर्ष
रु 200 करोड़ से अधिक किन्तु रु 1000 करोड़ से कम	लेटर ऑफ कम्फर्ट (एल.ओ.सी.) निर्गमन की तिथि से 5 वर्ष
रु 1000 करोड़ से अधिक	लेटर ऑफ कम्फर्ट (एल.ओ.सी.) निर्गमन की तिथि से 7 वर्ष

- 8.4 केवल वही राशि जो नीति की अधिसूचना की तिथि से तथा उपरोक्त उल्लिखित समय-सीमा के अन्दर निवेश की जाती है, पात्र स्थिर पूंजी निवेश के रूप में मानी जायेगी।
- 8.5 पिछली आईटी/आईटीईएस नीतियों के तहत, जिन प्रकरणों के लिए लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये गये हैं, वे पिछली नीतियों के प्राविधानों द्वारा शासित होंगे।

परिभाषायें

- (क) सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग के अन्तर्गत सम्मिलित हैं आईटी हार्डवेयर और आईटी/आईटीईएस इकाइयां/कम्पनियां, जहां आईटी इकाइयों/कम्पनियों में आईटी

एप्लीकेशन, सॉफ्टवेयर तथा आईटी सेवायें शामिल हैं और आईटी जनित सेवाओं में बीपीओ/केपीओ/परामर्श/एनीमेशन/आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स/गेमिंग तथा अन्य ज्ञान-उद्योग इकाइयां शामिल हैं।

(ख) **सॉफ्टवेयर सेवाओं में निम्नलिखित सम्मिलित है:-** एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, मिडिलवेयर/फर्मवेयर, किसी कम्पोनेन्ट स्तर का विकास, डिजाइन और गुणवत्ता आश्वासन कार्य, सिस्टम एकीकरण कार्य/कम्पोनेन्ट, सॉफ्टवेयर में कोई स्थानीयकरण और एससीएम कार्य तथा विस्तार विकास (मुख्य सॉफ्टवेयर से इतर मॉड्यूल)

(ग) **“सूचना प्रौद्योगिकी”** को किसी भी ऐसी सेवा के रूप में पारिभाषित किया गया है जो मूल्यसंवर्द्धन को साकार करने के लिए आईटी उत्पादों की एक प्रणाली पर किसी भी आईटी सॉफ्टवेयर के उपयोग के परिणामस्वरूप होता है। सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं में शामिल हैं:-

- एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर
- इन्टरनेट सर्विस प्रोवाइडर
- ई-मेल सर्विस प्रोवाइडर
- वर्ल्ड वाइड वेब सर्विस प्रोवाइडर
- ई-कॉमर्स और कन्टेन्ट डेवलपमेन्ट
- इलेक्ट्रॉनिक डाटा इन्टरचेन्ज (ई.डी.आई.) सेवायें
- वीडियो कान्फ्रेंसिंग
- वी-सैट, आईएसडीएन सेवायें
- इलेक्ट्रॉनिक डाटा सेन्टर कार्यकलाप

(घ) **“सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं”** में सम्मिलित है मेडिकल ट्रॉसकिप्शन, लीगल डाटाबेस प्रोसेसिंग, आईटी, एजुकेशन एण्ड लर्निंग, लीगल प्रोसेस आउटसोर्सिंग, आईपीआर सर्विसेज, डिजिटल कन्टेन्ट डेवलपमेन्ट/ एनीमेशन, रिमोट मेन्टीनेन्स जैसे बिजनेस सेगमेन्ट की एक विस्तृत श्रृंखला के लिए दूरसंचार नेटवर्क अथवा इन्टरनेट पर वितरित की जाने वाली प्रक्रियायें और सेवायें, बैंक ऑफिस संचालन – लेखा/वित्तीय सेवायें, इलेक्ट्रॉनिक, चिकित्सा और स्वास्थ्य परामर्श, जैसे सूचना विज्ञान, डाटा प्रोसेसिंग तथा कॉल सेन्टर आदि। आईटीईएस में शामिल हैं, किन्तु इन्हीं तक सीमित नहीं:-

- शोधन एवं विकास
- ई-कॉमर्स/ डिजिटल मार्केटप्लेसेज/ऑनलाइन एग्रीगेटर्स
- ग्लोबल कैपेबिलिटी सेन्टर्स
- बिजनेस प्रोसेस मैनेजमेन्ट
- कस्टमर इन्टरैक्शन सेवायें यथा कॉल/कान्टेक्ट सेन्टर तथा ईमेल हेल्प डेस्क
- इन्जीनियरिंग एण्ड डिजाइन

- बैक ऑफिस प्रोसेसिंग
- फाइनेन्स एण्ड एकाउन्टिंग (सुदूर से प्रदान)
- इन्श्योरेन्स क्लेम्स प्रोसेसिंग (सुदूर से प्रदान)
- मानस संसाधन सेवायें (सुदूर से प्रदान)
- वेब साइट विकास तथा अनुरक्षण सेवायें
- डाटा रिसर्च, इन्टीग्रेशन एण्ड एनालिसिस नेटवर्क कन्सल्टिंग एण्ड मैनेजमेण्ट
- रिमोट एजुकेशन
- एनीमेशन (सुदूर से प्रदान)
- गेमिंग
- मार्केट रिसर्च (सुदूर से प्रदान)
- ट्रांसलेशन, ट्रांसक्रिप्शन तथा लोकलाइजेशन (सुदूर से प्रदान)
- निम्नलिखित के लिए कन्सल्टेन्सी (सुदूर से प्रदान)
 - आईटी सेक्टर
 - ई.आर.पी. – एन्टरप्राइज रिसोर्स प्लानिंग (यथा एसएपी, ओराकेल आदि)
 - सी.आर.एम. – कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेण्ट
 - एम.आर.एम. – मार्केटिंग रिसोर्स मैनेजमेण्ट
 - तकनीकी सहायता
 - बिजनेस सिस्टम एण्ड प्रोसेसेज
- डाटा प्रोसेसिंग,
- सिस्टम इन्टीग्रेशन एण्ड कस्टमाइजेशन
- सिस्टम अपग्रेडेशन सर्विसेज
- डिजाइनिंग सिस्टम्स
- कॉल सेन्टर्स: (1) वॉयस – इनबाउण्ड तथा आउटबाउण्ड, दोनों (2) डाटा – इनबाउण्ड तथा आउटबाउण्ड
- सॉफ्टवेयर एक्सटेन्शन डेवलपमेण्ट
- आईटी फेसिलिटीज मैनेजमेण्ट (सुदूर से प्रदान सहित)
- ऐसी अन्य सेवायें, जो समय-समय पर अधिसूचित की जायें।

(च) **इकाई** का अभिप्राय है एक कम्पनी के रूप में गठित एक सत्ता के स्वामित्व वाली एक आईटी/आईटीईएस इकाई, एक एलएलपी, सोसायटी, ट्रस्ट, औद्योगिक सहाकारी समिति अथवा स्वामित्व वाली संस्था सहित साझेदारी फर्म, जिसमें संयुक्त क्षेत्र अथवा सार्वजनिक क्षेत्र इकाई शामिल नहीं है, जहाँ सरकार या सरकारी उपक्रम की अंश पूंजी 50 प्रतिशत अथवा अधिक है।

(छ) **विस्तार इकाई** का अर्थ है उत्तर प्रदेश में एक विद्यमान इकाई जो विस्तारीकरण का कार्य कर रही है, जैसा कि निम्नवत वर्णित हैं :—

(i) मौजूदा एफसीआई में कम से कम 25 प्रतिशत की वृद्धि या एफसीआई में रु. 100 करोड़, जो भी कम हो

अथवा

(ii) विस्तारित इकाई का वेतन पाने वाले कर्मचारियों की मौजूदा संख्या में 50 प्रतिशत या 1,000 कर्मचारियों की वृद्धि, जो भी पॉलिसी अवधि के दौरान कम हो।

(ज) **स्थिर पूंजी निवेश** (एफसीआई) में भवन निर्माण, संयंत्र और मशीनरी (कम्प्यूटर, अनुसंधान एवं विकास उपकरण, नेटवर्किंग हार्डवेयर और सम्बन्धित अचल सम्पत्तियों सहित), सॉफ्टवेयर और बुनियादी सुविधाओं पर किये गये व्यय सम्मिलित होंगे। भूमि की लागत और भवन की खरीद पर किया गया व्यय एफसीआई का अंग नहीं होगा।

(झ) **सरकारी अभिकरण**

- औद्योगिक विकास अभिकरण
- आवास परिषद
- सरकार द्वारा अधिसूचित अन्य शासकीय संस्थान

(ट) **आईटी सिटी** के लिए 100 से 500 एकड़ भूमि की आवश्यकता होती है जिसका उपयोग प्रायः 60:40 के अनुपात में प्रोसेसिंग और नॉन-प्रोसेसिंग क्षेत्र के रूप में किया जाता है। प्रोसेसिंग क्षेत्र में केवल आईटी इकाइयां जैसे आईटी कम्पनियां, बीपीओ, केपीओ आदि शामिल होंगे। नॉन-प्रोसेसिंग क्षेत्र में आवासीय सुविधायें, सार्वजनिक उपयोगिता कार्यालय/सुविधायें/वाणिज्यिक क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य और खुला क्षेत्र होगा।

(ठ) **आईटी पार्क्स** का निर्माण न्यूनतम 15,000 वर्गमीटर फ्लोर एरिया क्षेत्र के साथ किया जाता है। परिसर में सार्वजनिक उपयोगिता कार्यालय/सुविधायें शामिल हो भी सकती हैं और नहीं भी। आवंटन योग्य क्षेत्र का 75 प्रतिशत आईटी गतिविधियों के लिए आवंटित होना चाहिए। आईटी पार्क में अधिकांश तकनीकी अवसंरचना जैसे ऑप्टिकल फाइबर कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी, वाई-फाई एक्सेस, वीडियो कान्फ्रेंसिंग सुविधायें आदि एक आईटी सिटी के समान होती हैं। आईटी पार्क, आईटी सिटी का एक सबसेट है जिसमें सम्पूर्ण क्षेत्र प्रमुख रूप से आईटी गतिविधियों के लिए समर्पित है।

अनुलग्नक 1 : जिलों का वर्गीकरण

पूर्वांचल	बुन्देलखण्ड	मध्यांचल	पश्चिमांचल
अयोध्या क्षेत्र	झाँसी क्षेत्र	कानपुर क्षेत्र	गौतमबुद्ध नगर
1 अयोध्या	1 झाँसी	1 कानपुर नगर	गाजियाबाद
2 अम्बेडकर नगर	2 जालौन	2 कानपुर देहात	आगरा क्षेत्र
3 बाराबंकी	3 ललितपुर	3 इटावा	1 आगरा
4 सुल्तानपुर	चित्रकूट क्षेत्र	4 औरैया	2 फिरोजाबाद
5 अमेठी	4 बांदा	5 फर्रुखाबाद	3 मेनपुरी
गोरखपुर क्षेत्र	5 चित्रकूट	6 कन्नौज	4 मथुरा
6 गोरखपुर	6 हमीरपुर	लखनऊ क्षेत्र	अलीगढ़ क्षेत्र
7 देवरिया	7 महोबा	7 लखनऊ	5 अलीगढ़
8 महाराजगंज		8 हरदोई	6 हाथरस
9 कुशीनगर		9 लखीमपुर खीरी	7 कासगंज
प्रयागराज क्षेत्र		10 रायबरेली	8 एटा
10 प्रयागराज		11 सीतापुर	मुरादाबाद क्षेत्र
11 कौशाम्बी		12 उन्नाव	9 मुरादाबाद
12 फतेहपुर			10 बिजनौर
13 प्रतापगढ़			11 सम्भल
वाराणसी क्षेत्र			12 रामपुर
14 वाराणसी			13 अमरोहा
15 चन्दौली			मेरठ क्षेत्र
16 जौनपुर			14 मेरठ
17 गाजीपुर			15 बुलन्दशहर
मीरजापुर क्षेत्र			16 हापुड़
18 मीरजापुर			17 बागपत
19 संत रविदास नगर			सहारनपुर क्षेत्र
20 सोनभद्र			18 मुजफ्फरनगर
आजमगढ़ क्षेत्र			19 शामली
21 आजमगढ़			20 सहारनपुर
22 बलिया			बरेली क्षेत्र
23 मऊ			21 बरेली
देवीपाटन क्षेत्र			22 बदायूँ
24 गोण्डा			23 पीलीभीत
25 बहराइच			24 शाहजहाँपुर
26 बलरामपुर			
27 श्रावस्ती			
बस्ती क्षेत्र			
28 बस्ती			
29 संत कबीर नगर			
30 सिद्धार्थ नगर			

प्रेषक,

नरेन्द्र भूषण,
प्रमुख सचिव
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

- 1 समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 2 समस्त विभागाध्यक्ष, उत्तर प्रदेश।

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-1

लखनऊ: दिनांक: 11 अप्रैल, 2023

विषय: "उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति-2022" के अन्तर्गत सूचना प्रौद्योगिकी एवं सू0प्रौ0 जनित सेवा इकाइयों के लिए प्रोत्साहन हेतु प्रक्रिया का निर्धारण।

महोदय,

आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन की अधिसूचना संख्या-1829/78-1-2020-05आई0टी0/ 2022, दिनांक 18 नवम्बर 2022 द्वारा "उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं सू0प्रौ0 जनित सेवा नीति-2022" जारी की गई है। यह नीति अधिसूचना की तिथि से 05 वर्षों की अवधि के लिए अथवा नई नीति की उद्घोषणा होने तक प्रभावी रहेगी।

2- सूचना प्रौद्योगिकी और सू0प्रौ0जनित सेवा नीति के माध्यम से उत्तर प्रदेश राज्य का प्रयोजन निम्नलिखित उद्देश्यों को प्राप्त किया जाना है:-

- **अवसंरचना:** राज्य में आईटी पार्क्स, आईटी सिटी विकसित करके नवीन और उन्नत प्रौद्योगिकियों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए आईटी/आईटीईएस क्षेत्र के लिए सर्वोत्तम श्रेणी के बुनियादी ढाँचे के विकास की सुविधा।
- **नवाचार:** मेन्टर्स तक पहुंच के रूप में एक सक्षम तंत्र प्रदान करके इन्नोवेशन ईकोसिस्टम को प्रोत्साहन, उत्कृष्टता के केन्द्रों की स्थापना तथा उदीयमान प्रौद्योगिकियों पर ध्यान देने के साथ अनुसन्धान और विकास को बढ़ावा।
- **क्षमता निर्माण:** अगली पीढ़ी की प्रौद्योगिकी (यथा डाटा एनालिटिक्स, इन्टरनेट ऑफ थिंग्स, वर्चुअल रियलिटी, आर्टिफिशियल इन्टेलीजेन्स, मशीन लर्निंग आदि) पर मौजूदा और युवा कार्यबल के कौशल स्तर को बढ़ाना तथा उद्योग के लिए तैयार एक प्रतिभा पूल का विकास।
- **निवेश:** निवेशक सुविधा को बढ़ावा देना, प्रौद्योगिकी कम्पनियों के लिए उत्तर प्रदेश को एक पसन्दीदा निवेश गन्तव्य बनाना तथा नीति अवधि के दौरान घरेलू और साथ ही विदेशी निवेश को आकर्षित करना।
- **निर्यात:** उत्तर प्रदेश के अन्दर एसटीपीआई में स्थापित इकाइयों के लिए सिंगल विन्डो क्लीयरेंस प्रदान करने सहित इस क्षेत्र में भारत के निर्यात में काफी अधिक योगदान करने के लिए राज्य के आईटी/आईटीईएस क्षेत्र की निर्यात क्षमता को बढ़ावा देना।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- **रोजगार:** स्थानीय रोजगार को बढ़ावा देने के लिए विशेष प्रोत्साहन देकर प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के राज्यव्यापी अवसर प्रदान करना।
 - **क्षेत्रीय विकास:** सम्पूर्ण प्रदेश में आईटी/आईटीईएस इकाइयों की स्थापना के लिए अतिरिक्त प्रोत्साहन के माध्यम से आईटी पैठ तथा संतुलित क्षेत्रीय विकास को बढ़ावा देना।
3. “30प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति-2022” के अन्तर्गत अवसंरचना संवर्द्धन, नवाचार प्रोत्साहन, सूचना प्रौद्योगिकी क्षेत्र में कौशल विकास, सूचना प्रौद्योगिकी एवं सू0प्रौ0 जनित सेवा इकाइयों हेतु विभिन्न प्रोत्साहन अनुमन्य किये गये हैं। उक्त प्रोत्साहनों की स्वीकृति एवं वितरण प्रक्रिया निर्धारित की गयी, जो निम्नवत् है:-

4. अवसंरचना संवर्द्धन

उत्तर प्रदेश में पहले से ही बड़ी संख्या में आईटी/आईटीईएस कम्पनियां हैं, जिन्होंने राज्य में अपनी इकाइयां स्थापित की हैं। एचसीएल ने उत्तर प्रदेश राज्य सरकार के सहयोग से परिचालन और कौशल विकास गतिविधियों के लिए 100 एकड़ में एक समर्पित आईटी सिटी स्थापित किया है। राज्य में वर्तमान में नोएडा, मेरठ, लखनऊ, कानपुर और प्रयागराज में उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से विकसित एसटीपीआई पार्क्स संचालित हैं। आगरा में एक और आईटी पार्क शीघ्र ही चालू हो जायेगा। तीन अन्य एसटीपीआई पार्क वाराणसी, बरेली तथा गोरखपुर नगरों में विकसित किए जा रहे हैं। राज्य सरकार सुगम आवागमन वाले स्थान पर रेडी-टू-आक्यूपाई कार्यस्थानों के विकास को सहयोग प्रदान कर आईटी ईकोसिस्टम को प्रोत्साहन प्रदान करेगी जिससे आईटी/आईटीईएस इकाइयों को राज्य के अन्दर अपना परिचालन तत्काल आरम्भ करने में सुविधा होगी। आईटी क्षेत्र में बुनियादी ढांचे के विकास के लिए इस नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित पहल किए जाने का प्रस्ताव है:-

4.1 आईटी पार्क

- 4.1.1 गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद जिलों को छोड़कर राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक राजस्व मण्डल में एक ग्रीनफील्ड आईटी पार्क के विकास के लिए वित्तीय सहायता प्रदान की जायेगी। ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र से सम्बन्धित मण्डलों में प्रस्तावित आईटी पार्क की स्थापना ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र से आच्छादित किसी जनपद में कराई जायेगी। प्रत्येक राजस्व मण्डल के अन्दर आईटी पार्क के निर्माण के लिए पहले आओ-पहले पाओ के आधार पर पूंजीगत व्यय सहायता प्रदान की जायेगी। किसी अन्य अतिरिक्त आईटी पार्क के लिए प्रोत्साहन की समीक्षा सशक्त समिति द्वारा की जायेगी तथा प्रकरण का निस्तारण केस-टू-केस आधार पर किया जायेगा।
- 4.1.2 आईटी पार्क के विकास हेतु किए गए पात्र पूंजीगत व्यय की 25 प्रतिशत सहायता प्रदान की जायेगी जिसकी अधिकतम सीमा रु 20 करोड़ होगी।
- 4.1.3 पूंजीगत व्यय में, भूमि की लागत को छोड़कर, भवन निर्माण तथा अवस्थापना सुविधाओं पर किया गया व्यय सम्मिलित होगा।
- 4.1.4 उपरोक्त प्रोत्साहनों का 80 प्रतिशत कुल परियोजना लागत के 25 प्रतिशत, 50 प्रतिशत, 75 प्रतिशत तथा 100 प्रतिशत पर किये गये व्यय के आधार पर चार किशतों में प्रदान किया जायेगा। अन्तिम 20प्रतिशत सहायता बिल्ट-अप फ्लोर क्षेत्र का 50 प्रतिशत, इकाइयों को उनके वाणिज्यिक परिचालन के लिए आवंटित/पट्टे पर दिये जाने के बाद जारी की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 4.1.5 विकासकर्ता द्वारा भूमि के क्रय/पट्टे पर स्टाम्प शुल्क पर 100 प्रतिशत छूट प्रदान की जायेगी।
- 4.1.6 सरकार द्वारा वाह्य अवसंरचना सुविधाओं अर्थात् सड़कों (लोक निर्माण विभाग द्वारा), विद्युत अवसंरचना (ऊर्जा विभाग) के विकास के लिए सहायता प्रदान की जायेगी। भवन अनापत्ति प्राप्त करने में भी सहयोग दिया जायेगा।
- 4.1.7 फ्लोर एरिया रेशियो (एफ.ए.आर.): एफएआर 3 और 1 (तत्समय प्रचलित भवन उप-नियमों के अनुसार क्रय योग्य) आईटी पार्क्स पर लागू।
- 4.1.8 इन प्रोत्साहनों की अनुमन्यता के लिए अर्ह आईटी पार्क्स पर सशक्त समिति द्वारा अन्तिम निर्णय लिया जायेगा।
- 4.1.9 विकासकर्ताओं के संघ (कन्सोर्टियम) की भी अनुमति होगी।
- 4.1.10 30प्र0 औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2022 के नीतिगत प्राविधानों, नियम एवं शर्तों के अनुसार त्वरित आधार पर तरजीही भूमि आवंटन किया जायेगा।
- 4.1.11 सह-कार्यस्थलों (को-वर्किंग स्पेसेज) की मेजबानी करने वाले आईटी पार्क भी उपरोक्त प्रोत्साहनों के लिए पात्र होंगे।

4.2 आईटी सिटी

- 4.2.1 आईटी सिटी एक ऐसे क्षेत्र को संदर्भित करता है जहां आईटी/आईटीईएस गतिविधियों और 'पदयात्रा द्वारा कार्य संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए अत्याधुनिक बुनियादी ढांचा मौजूद है। इसमें आवासीय एवं वाणिज्यिक परिसरों के साथ आईटी/ आईटीईएस कार्यालय स्थल/आईटी पार्क, सह-कार्यस्थल शामिल हैं और सभागार, फूड कोर्ट, व्यायामशाला, सम्मेलन कक्ष आदि शामिल हो सकते हैं।
- 4.2.2 राज्य सरकार द्वारा पश्चिमांचल (ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र के आगरा जनपद), मध्यांचल, पूर्वांचल तथा बुन्देलखण्ड-प्रत्येक क्षेत्र में एक आईटी सिटी विकसित करने और इस प्रकार सम्पूर्ण राज्य में आईटी इकाइयों की स्थापना का मार्ग प्रशस्त करने का प्रयास है।
- 4.2.3 सरकार वैश्विक मानकों के अनुरूप आधुनिक सुविधाओं सहित, समर्पित अत्याधुनिक आईटी सिटी के विकास के लिए विकासकर्ताओं/विकासकर्ताओं के संघ को प्रोत्साहित करेगी। सहायता निम्नलिखित प्रोत्साहनों के माध्यम से प्रदान की जायेगी:-
- जोनिंग/भूमि उपयोग कानूनों में शिथिलता
 - लचीले फ्लोर स्पेस इन्डेक्स (एसएसआई) मानदण्ड लागू करना
 - यूटिलिटीज डोरस्टेप सहायता का विस्तार
 - आवश्यक सांविधिक स्वीकृतियों की प्राप्ति में सहायता
 - विकासकर्ता द्वारा भूमि का क्रय करने/पट्टे पर लेने पर स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत छूट
 - पूंजीगत व्यय सहायता-आईटी सिटी के विकास के लिए किये गये पात्र पूंजीगत व्यय के 25 प्रतिशत का एकमुश्त सहयोग रु 100 करोड़ की अधिकतम सीमा सहित, प्रदान किया जायेगा। पात्र पूंजीगत व्यय में भूमि की लागत को छोड़कर भवन निर्माण तथा अवसंरचना सुविधायें सम्मिलित होंगी। इसके अतिरिक्त, केवल प्रसंस्करण क्षेत्र

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

(प्रोसेसिंग एरिया) में किये गये पूंजीगत व्यय को पात्र माना जायेगा। विकासकर्ता को पात्र पूंजीगत व्यय का 80प्रतिशत कुल परियोजना लागत के 25प्रतिशत, 50प्रतिशत, 75प्रतिशत तथा 100प्रतिशत पर किये गये व्यय के आधार पर चार किशतों में प्रदान किया जायेगा। अन्तिम 20प्रतिशत सहायता बिल्ट-अप फ्लोर क्षेत्र का 50प्रतिशत, इकाइयों को उनके वाणिज्यिक परिचालन के लिए आवंटित/पट्टे पर दिये जाने के बाद जारी की जायेगी।

- राज्य मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से सशक्त समिति की अनुशंसा पर केस-टू-केस आधार पर (विस्तारित पूंजीगत व्यय सहायता सहित) अतिरिक्त प्रोत्साहन प्रदान किये जा सकते हैं।

5. इनोवेशन ईकोसिस्टम को बढ़ावा

इस नीति में निम्नलिखित पहल के माध्यम से नवाचार को प्रोत्साहित करने वाला एक ईकोसिस्टम बनाया जाना प्रस्तावित है:-

5.1 उत्कृष्टता के केन्द्र

5.1.1 नीति में आईटी/आईटीईएस क्षेत्र में अनुसंधान, नवाचार तथा उद्यमिता को बढ़ावा देने के लिए उत्कृष्टता केन्द्र (सेन्टर ऑफ एक्सीलेन्स) के रूप में विश्वस्तरीय बुनियादी ढांचा बनाने की परिकल्पना की गई है।

5.1.2 नीति का लक्ष्य प्रतिष्ठित शैक्षणिक संस्थानों तथा/अथवा उद्योग संघों/ उद्योग अथवा किसी अन्य सरकारी/निजी संस्था के सहयोग से 3 उत्कृष्टता केन्द्रों की स्थापना किया जाना है, उत्कृष्टता केन्द्र की कुल परियोजना लागत का 50प्रतिशत (अधिकतम रु 10 करोड़ के अधीन) उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वहन किया जायेगा।

5.1.3 सशक्त समिति उत्कृष्टता के केन्द्र की स्थापना हेतु स्वीकृति प्रदान करने के लिए सक्षम होगी।

5.2 अनुसंधान एवं विकास सहायता

सरकार द्वारा वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद (सीएसआईआर)/वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान विभाग (डीएसआईआर) द्वारा मान्यता प्राप्त अथवा इस प्रयोजन हेतु गठित विशेषज्ञ समिति द्वारा अनुमोदित स्टैण्डएलोन/इन-हाउस अनुसंधान एवं विकास केन्द्रों तथा डिजाइन सेन्टर्स को समर्थन प्रदान किया जायेगा।

5.2.1 वित्तीय सहायता 5 वर्षों की अवधि में एक इकाई के लिए अधिकतम रु 5 करोड़ की सीमा तक, पात्र अनुसंधान एवं विकास व्यय के 50 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति (पूँजी और परिचालन व्यय को सम्मिलित करते हुए) के रूप में प्रदान की जायेगी।

5.2.2 पात्र प्रतिपूर्ति राशि की 50 प्रतिशत धनराशि अर्द्धवार्षिक आधार पर प्रदान की जायेगी तथा शेष 50 प्रतिशत धनराशि उत्पाद/शोध एवं विकास गतिविधियों के सफल विकास के उपरान्त संवितरित की जायेगी।

5.2.3 अनुसंधान एवं विकास गतिविधियां जिन्हें इस प्राविधान के माध्यम से प्रोत्साहन प्रदान किया जाना है, आईटी/आईटीईएस के क्षेत्र में नवीन अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों में सम्मिलित होना

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

अपेक्षित है। इस प्रकार की अनुसंधान एवं विकास गतिविधियों को इकाई के व्यवसाय की प्रकृति यथा नई प्रौद्योगिकियों का विकास, डिजाइन और इंजीनियरिंग, उत्पाद विकास, विश्लेषण और परीक्षण की नई विधियों का विकास तथा संसाधनों के उपयोग में दक्षता वृद्धि के लिए अनुसंधान इत्यादि से सम्बन्धित होना चाहिए। आवेदन के समय अनुसंधान एवं विकास इकाई(यों) के पास भली प्रकार से पारिभाषित, समयबद्ध अनुसंधान एवं विकास कार्यक्रम होने चाहिए जो नवीन उत्पादों और/ अथवा प्रौद्योगिकी(यों) के विकास के लिए हों। पूरी तरह से बाजार अनुसंधान, कार्य और विधियों के अध्ययन, संचालन और प्रबन्धन अनुसंधान, संचालन, प्रक्रिया नियंत्रण, गुणवत्ता नियंत्रण तथा दिन-प्रतिदिन के उत्पादन के रख-रखाव और संयंत्र के रख-रखाव के लिए नियमित प्रकृति के परीक्षण और विश्लेषण में लगी इकाइयों को शोधन एवं विकास केन्द्र नहीं माना जायेगा।

5.2.4 एक नये अनुसंधान एवं विकास गतिविधि के लिए अनुसंधान एवं विकास व्यय करने वाली उत्तर प्रदेश में स्थापित विद्यमान इकाइयां इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए पात्र होंगी।

5.2.5 इस प्राविधान के तहत प्रस्ताव में शोध एवं विकास उपकरण से सम्बन्धित किसी भी पूंजीगत व्यय को सम्मिलित नहीं किया जायेगा, जिस पर पहले ही धारा 6 के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्रदान किया जा चुका हो।

6. कौशल विकास

कुशल सूचना प्रौद्योगिकी जनशक्ति की बढ़ती आवश्यकता को पूरा करने और कौशल की मांग और आपूर्ति के बीच विद्यमान अन्तर को कम करने के लिए, एक ऐसी पहल आरम्भ करने की अनिवार्य आवश्यकता है जो वृद्धिमान अर्थव्यवस्था के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करने की चुनौती का समाधान कर सकेगी। सरकार इस नीति के माध्यम से मौजूदा और नये कार्यबल को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित पहल करेगी:-

6.1 उदीयमान प्रौद्योगिकी पाठ्यक्रमों में प्रमाणन पूरा करने के लिए प्रोफेशनल्स/ कार्मिकों और छात्रों को प्रोत्साहित किया जाना। सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश के मूल निवासी अभ्यर्थी के पाठ्यक्रम शुल्क के 50 प्रतिशत, रु 50,000/- तक की प्रतिपूर्ति की जायेगी। आईटी/आईटीईएस कम्पनियों, उद्योग संघों, शैक्षणिक संस्थानों आदि की एक स्थायी समिति द्वारा प्रशिक्षण प्रदाताओं की सूची पर, उनके पैनेल सहित परामर्श प्रदान किया जायेगा एवं पाठ्यक्रमों का निर्धारण किया जायेगा, जिन्हें उद्योग के रुझान तथा जरूरतों के अनुसार आवधिक आधार पर संशोधित किया जा सकता है।

6.2 यूपी कौशल विकास मिशन (एसडीएम) आईटी/आईटीईएस क्षेत्र से सम्बन्धित पाठ्यक्रमों पर प्रशिक्षण देने के लिए प्रमुख उद्योग संस्थाओं और शैक्षणिक संस्थानों के साथ सहयोग करेगा।

7- सूचना प्रौद्योगिकी एवं सू0प्रौ0जनित सेवा इकाइयों हेतु प्रोत्साहन

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

राज्य सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश में अपनी इकाइयां स्थापित करने वाली सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0जनित सेवा कम्पनियों को विभिन्न प्रोत्साहन प्रदान किये जायेंगे। न्यूनतम रु 2 करोड़ के स्थिर पूंजी निवेश सहित नई और विस्तार करने वाली, दोनों प्रकार की इकाइयां इस नीति के अन्तर्गत सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश में प्रोत्साहनों हेतु पात्र होंगी। न्यूनतम रु 2 करोड़ के स्थिर पूंजी निवेश (एफ.सी.आई.) करने वाली नई इकाइयां निम्नवत प्रोत्साहनों हेतु पात्र होंगी:-

7.1 नई इकाइयों हेतु वित्तीय प्रोत्साहन

7.1.1 पूंजी उपादान

न्यूनतम रु 5 करोड़ के स्थिर पूंजी निवेश पर पात्र सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0जनित सेवा इकाइयों को स्थिर पूंजी निवेश पर 10 प्रतिशत की दर से पूंजी उपादान प्रदान किया जायेगा, जिसकी अधिकतम सीमा रु 50 करोड़ होगी। इसका संवितरण वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ होने के पश्चात पांच वर्षों में वार्षिक किश्तों में किया जाएगा और प्रत्येक वार्षिक किश्त रु 10 करोड़ से अधिक नहीं होगी।

7.1.2 परिचालन व्यय उपादान

इस नीति के माध्यम से सरकार द्वारा सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0जनित सेवा इकाइयों द्वारा किये गये परिचालन व्यय के लिए उपादान प्रदान किया जायेगा। सभी पात्र इकाइयां निम्नलिखित परिचालन व्ययों पर 10 प्रतिशत की प्रतिपूर्ति का लाभ उठा सकती हैं:-

- i. लीज रेंटल्स: सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0जनित सेवा इकाई की स्थापना हेतु कार्यालय स्थल पट्टे पर लेने के लिए किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति वास्तविक लीज रेंट के आधार पर की जायेगी, जो अधिकतम रु 50/- प्रति वर्ग फुट मासिक किराये के अधीन होगी। अपना परिचालन सह-कार्यस्थलों से करने वाली इकाइयों के लिए भी यह उपलब्ध होगा।
- ii. बैंडविड्थ व्यय: लाइसेन्स प्राप्त इन्टरनेट सेवा प्रदाता को बैंडविड्थ कनेक्टिविटी पर किये गये वास्तविक व्यय का भुगतान।
- iii. डाटा सेन्टर/क्लाउड सेवा लागत: डाटा सेन्टर अथवा क्लाउड सेवाओं का लाभ उठाने पर होने वाला वास्तविक व्यय, इस प्रतिबन्ध सहित कि सेवा प्रदाता उत्तर प्रदेश के अन्दर अवस्थित हो तथा उसके पास, उत्तर प्रदेश वस्तु और सेवा कर अधिनियम के तहत वैध जीएसटी आईडेंटिफिकेशन नम्बर हो, जिससे सेवाओं के लिए चालान जारी किया गया हो।
- iv. विद्युत शुल्क: सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0जनित सेवा इकाई के परिचालन हेतु उपभोग की गई विद्युत यूनिट के लिए भुगतान किया गया वास्तविक विद्युत शुल्क। यह उपादान वाणिज्यिक परिचालन होने से 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जायेगा और कुल राशि प्रति वर्ष रु 20 करोड़ तक सीमित रहेगी।

7.1.3 भूमि पर छूट

- i. इस नीति में उल्लिखित मानदण्डों को पूरा करने पर, उत्तर प्रदेश में क्रय की गई भूमि पर सरकार द्वारा छूट प्रदान की जायेगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- ii. भूमि की लागत पर 25 प्रतिशत प्रतिपूर्ति प्रदान की जायेगी जो अधिकतम रु 50 करोड़ की छूट तथा निम्नानुसार क्षेत्रवार न्यूनतम रोजगार मानदण्डों को पूरा करने के प्रतिबन्ध के अधीन होगी।

क्षेत्र	न्यूनतम रोजगार
पश्चिमांचल (ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र को छोड़कर)	प्रति एकड़ भूमि 200 कार्मिक
मध्यांचल	प्रति एकड़ भूमि 150 कार्मिक
बुन्देलखण्ड/पूर्वांचल/ ताज ट्रेपेजियम क्षेत्र	प्रति एकड़ भूमि 100 कार्मिक
अभ्युक्ति: बुन्देलखण्ड, पूर्वांचल, मध्यांचल तथा पश्चिमांचल क्षेत्र के अन्तर्गत आने वाले जनपदों की सूची अनुलग्नक-1 पर दी गई है।	

- iii प्रदत्त रोजगार निरन्तर एक वर्ष की अवधि के लिए होना चाहिए।

- iv यदि भूमि राज्य अभिकरण द्वारा आवंटित है तो भुगतान किये गए वास्तविक आवंटन मूल्य को भूमि की लागत (स्टाम्प शुल्क तथा निबन्धन शुल्क को छोड़कर) के रूप में माना जायेगा। निजी भूमि के क्रय पर भूमि का मूल्य प्रचलित सर्किल दरों अथवा वास्तविक क्रय मूल्य, जो भी कम हो, के अनुसार मानी जायेगी।

7.1.4 ब्याज उपादान

अधिसूचित बैंकों/वित्तीय संस्थानों से लिये गये सावधि ऋण पर 7 प्रतिशत अथवा वास्तविक भुगतान किया गया ब्याज, जो भी कम हो, वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ होने के पश्चात 5 वर्ष की अवधि के लिए प्रदान किया जायेगा जिसकी अधिकतम सीमा प्रति वर्ष प्रति इकाई रु 1.00 करोड़ होगी।

7.1.5 स्टाम्प शुल्क

सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0जनित सेवा हेतु उपयोग के लिए भूमि/कार्यालय स्थान/ भवन के क्रय/पट्टे पर लेने हेतु स्टाम्प शुल्क में 100 प्रतिशत छूट, इस नीति की धारा 8.3 में निर्धारित समय सीमा के अन्दर परिचालन आरम्भ करने के प्रतिबन्ध सहित।

स्टाम्प शुल्क छूट के लिए निवेशक द्वारा समतुल्य धनराशि की बैंक गारण्टी के जब्त/अवमुक्त किये जाने सम्बन्धी व स्टाम्प छूट की अन्य शर्त विषयक शासनादेश, स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग द्वारा जारी किया जायेगा तथा स्टाम्प शुल्क से छूट के समतुल्य धनराशि की बैंक गारण्टी आयुक्त, स्टाम्प, उत्तर प्रदेश के पक्ष में बंधक रखी जायेगी जिसे वाणिज्यिक परिचालन नियत अवधि में प्रारम्भ न होने की दशा में जब्त किया जा सकेगा।

7.1.6 रोजगार सृजन हेतु कर्मचारी भविष्य निधि पर अनुदान

वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ होने के उपरान्त 1 वर्ष के निरन्तर रोजगार तथा उत्तर प्रदेश में अधिवास वाले आईटी/आईटीईएस प्रोफेशनल्स के लिए अदा की गई कुल भविष्य निधि धनराशि की 100 प्रतिशत प्रतिपूर्ति, प्रति कार्मिक रु 2000/- प्रतिमास तथा रु 1 करोड़ प्रति वर्ष प्रति इकाई की सीमा सहित 5 वर्ष तक इकाई को प्रदान किया जायेगा। यह प्रोत्साहन केवल महिला/अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति/ट्रांसजेन्डर/दिव्यांगजन कार्मिकों के लिए अनुमन्य है।

7.1.7 रिक्लूमेण्ट सहायता

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रामाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- i. आईटी/आईटीईएस के क्षेत्र में न्यूनतम 1 वर्ष के निरन्तर रोजगार और कम से कम 30 छात्रों की वार्षिक भर्ती के प्रतिबन्ध सहित उत्तर प्रदेश (गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद जनपदों को छोड़कर) में अवस्थित इकाइयों को प्रति कार्मिक रु 20,000 की रिक्यूटमेण्ट सहायता।
- ii. यह सहायता केवल उनकी प्रथम नौकरी के लिए भर्ती किये गये कार्मिकों के लिए अनुमन्य है, जो न्यूनतम 1 वर्ष की अवधि के लिए उत्तर प्रदेश स्थित इकाइयों में तैनात हों। कर्मचारी उत्तर प्रदेश का मूल निवासी तथा उत्तर प्रदेश स्थित महाविद्यालय से हो।
- iii. इस सहायता का लाभ परिचालन प्रारम्भ होने की 5 वर्ष की अवधि के लिए लिया जा सकता है।
- iv. उत्तर प्रदेश स्थित कॉलेजों के अभ्यर्थियों की भर्ती में सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0जनित सेवा कम्पनियों की सहायता तथा इस प्राविधान के अनुसार लाभ प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए प्रौद्योगिक शिक्षा, व्यावसायिक शिक्षा तथा कौशल विकास विभाग के परामर्श से एक तन्त्र विकसित किया जायेगा।

7.1.8 प्रमाणीकरण हेतु प्रोत्साहन

सुरक्षा के लिए आईएसओ 27001, सेवा प्रबन्धन शब्दावली के लिए आईएसओ 20000, सीओपीसी, ईएससीएम जैसे गुणवत्ता और आईटी से सम्बन्धित क्षमता परिपक्वता मॉडल (सीएमए) स्तर एवं उच्चतर प्रमाणपत्र सफलतापूर्वक प्राप्त करने पर राज्य में परिचालनरत आईटी/आईटीएस कम्पनी द्वारा अधिकतम 3 प्रमाण-पत्रों हेतु किये गये व्यय की प्रतिपूर्ति कुल रु 25 लाख प्रति इकाई की सीमा सहित। इस क्षेत्र से सम्बन्धित इस प्रकार के प्रमाणन समय-समय पर सशक्त समिति के अनुमोदन से सम्मिलित किये जायेंगे।

7.1.9 पेटेन्ट फाइलिंग लागत

अनुसंधान एवं विकास को प्रोत्साहित करने के लिए, राज्य के अन्दर स्थित इकाइयों द्वारा पेटेन्ट फाइलिंग की लागत को आच्छादित करने के लिए सहायता प्रदान की जायेगी। स्वीकृत पेटेन्ट पर वास्तविक फाइलिंग लागत के 100 प्रतिशत तक की प्रतिपूर्ति की जायेगी जो घरेलू पेटेन्ट्स हेतु अधिकतम रु 5,00,000 तथा अन्तर्राष्ट्रीय पेटेन्ट्स हेतु रु 10,00,000 होगी।

7.1.10 घर से काम

इकाइयां इस नीति के तहत रोजगार सृजन उपादान, भविष्य निधि की प्रतिपूर्ति तथा रोजगार से जुड़े अन्य हितलाभ के लिए पात्र होंगी, जोकि उत्तर प्रदेश में घर से काम करने वाले/ऐसे अन्य परिसरों से काम करने वाले कर्मचारियों से सम्बन्धित हैं।

7.2 विस्तारित इकाइयों हेतु लाभ

विस्तारित इकाइयां जिनकी न्यूनतम वृद्धिशील स्थिर पूंजी (जो इकाई के विस्तार के लिये पात्र स्थिर पूंजी निवेश के रूप में अर्ह है) रु 2 करोड़ है, वह निम्नवत प्रोत्साहन के लिये पात्र होंगी:-

- 7.2.1 पात्र विस्तारित इकाइयां वृद्धिशील स्थिर पूंजी निवेश (एफसीआई) पर 10 प्रतिशत की दर से पूंजी उपादान का दावा करने के लिए पात्र होंगी, जो पात्र आईटी/आईटीईएस इकाइयों को अधिकतम 50 करोड़ रुपये के उपादान के अधीन होगी।

कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) की प्रतिपूर्ति और भर्ती सहायता, नई इकाइयों के लिए उपरोक्त उल्लिखित दर पर और उन्हीं नियमों और शर्तों के अनुरूप प्रदान की जाएगी। विस्तार से पूर्व वर्ष के दौरान औसत कर्मचारी हेडकाउंट को बेसलाइन कर्मचारी हेडकाउंट माना जाएगा। रोजगार संबंधी लाभों

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

के लिए केवल बेसलाइन हेडकाउंट के ऊपर और अतिरिक्त वृद्धिशील हेडकाउंट पर विचार किया जाता है।

7.3 केस-टू-केस आधारित प्रोत्साहन

7.3.1 आईटी/आईटीएस मेगा निवेश इकाई के लिए: पूंजी निवेश अथवा रोजगार सृजन की आवश्यकता को निम्नानुसार पूर्ण करने वाले वृहद आईटी/आईटीईएस परियोजनाओं के लिए केस-टू-केस आधार पर विशेष प्रोत्साहन दिये जा सकते हैं:-

अवस्थिति	न्यूनतम पात्रता अपेक्षायें
गौतमबुद्ध नगर तथा गाजियाबाद	रु 250 करोड़ से अधिक निवेश अथवा 3000 प्रोफेशनल्स हेतु रोजगार
शेष उत्तर प्रदेश	रु 100 करोड़ से अधिक निवेश अथवा 1000 प्रोफेशनल्स हेतु रोजगार

प्रस्तावित प्रोत्साहन पूंजी उपादान, परिचालन व्यय प्रतिपूर्ति, ब्याज उपादान, स्टाम्प शुल्क छूट, भविष्य निधि प्रतिपूर्ति, रिक्रूटमेंट सहायता, भूमि लागत प्रतिपूर्ति आदि के रूप में होंगे। राज्य मंत्रिपरिषद के अनुमोदन अधीन, सशक्त समिति की अनुशंसा पर वित्तीय प्रोत्साहन की अधिकतम सीमा में छूट दी जा सकती है। राज्य सरकार द्वारा एक समर्पित नोडल अधिकारी की नियुक्ति की जायेगी जो सभी सम्बन्धित विभागों के साथ बेहतर समन्वयन के लिए सम्पर्क के एकल बिन्दु के रूप में कार्य करेगा और सुनिश्चित करेगा कि सभी आवश्यक सहायता उपलब्ध हों।

7.4 गैर वित्तीय प्रोत्साहन

7.4.1 आईटी/आईटीईएस उद्योग के लिए 25 केवीए से अधिक क्षमता के विद्युत जनरेटिंग सेट्स को छोड़कर, उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम की परिधि से छूट।

7.4.2 विशिष्ट शिकायतों की स्थिति को छोड़कर, आईटी/आईटीईएस उद्योगों को प्रस्तर-4.4.3 में उल्लिखित अधिनियमों और उनके अधीन नियमों के अन्तर्गत निरीक्षण से छूट होगी। इस प्राविधान के तहत इकाइयां प्रत्येक 5 वर्ष में केवल एक बार निरीक्षण हेतु पात्र होंगी।

7.4.3 सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा उद्योगों द्वारा निर्धारित प्रारूपों पर, जो भी लागू हो स्व-प्रमाणन (समय-समय पर संशोधित किया जा सकता है) प्रस्तुत करने हेतु अनुमति होगी:-

- I. कारखाना अधिनियम (The Factories Act)
- II. मातृत्व लाभ अधिनियम (The Maternity Benefit Act)
- III. दुकान एवं प्रतिष्ठान अधिनियम (The Shops & Establishments Act)
- IV. संविदा श्रम (विनियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम (The Contract Labour (Regulations & Abolition Act))
- V. पारिश्रमिक भुगतान अधिनियम (Payment of Wages Act)
- VI. न्यूनतम मजदूरी अधिनियम (Minimum Wages Act)
- VII. सेवायोजन कार्यालय (रिक्तियों की अनिवार्य अधिसूचना) अधिनियम (The Employment Exchanges (Compulsory Notification of Vacancies) Act)

7.4.4 सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवाओं वाली कम्पनियों को सप्ताह के सातों दिन, प्रतिदिन 24 घण्टे-(तीन पालियों में परिचालन) तथा सभी पालियों में महिलाओं को काम करने की अनुमति होगी।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 7.4.5 जब कभी आवश्यक हो, कतिपय आईटी/आईटीईएस इकाइयों को "आवश्यक सेवाओं"/सार्वजनिक उपयोगिता सेवाओं के रूप में अधिसूचित कर सकती है।
- 7.4.6 फ्लोर एरिया रेशियो (एफ.ए.आर.): एफएआर 3 और 1 (तत्समय प्रचलित भवन उप-नियमों के अनुसार क्रय योग्य) आईटी/आईटीईएस जनित सेवा इकाइयों पर लागू।
- 7.4.7 उपरोक्त गैर-वित्तीय प्रोत्साहन नई इकाइयों और विस्तारित इकाइयों दोनों के लिए अनुमन्य हैं।

8. क्रियान्वयन ढांचा

- 8.1 यूपी इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीएलसी) इस नीति के क्रियान्वयन हेतु नोडल संस्था होगी।
- 8.2 नोडल संस्था के तहत आउटसोर्स प्रोफेशनल्स तथा कन्सल्टेंट्स को शामिल करते हुए एक समर्पित परियोजना प्रबन्धन इकाई (पीएमयू) का गठन किया जायेगा ताकि कार्यान्वयन में सहायता और अनुश्रवण किया जा सके।
- 8.3 30प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति-2022 (एतद्वारा जिसे 'नीति' कहा गया है) के अन्तर्गत एक नीति कार्यान्वयन इकाई का गठन अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग की अध्यक्षता में किया गया है तथा इसमें अन्य सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधि हैं। नीति कार्यान्वयन इकाई उन परियोजनाओं पर अनुमोदन देने के लिए प्राधिकृत होगी जिनमें निवेश रु0 200.00 करोड़ से कम अथवा समतुल्य है। नीति कार्यान्वयन इकाई द्वारा उत्तर प्रदेश में सूचना प्रौद्योगिकी/सू0प्रौ0 जनित सेवा क्षेत्र इकाइयों/उत्प्रेरकों/उत्कृष्टता के केन्द्रों को प्रोत्साहन अनुमन्य किये जाने हेतु संस्तुति एवं अनुमोदन प्रदान किये जायेंगे।
- 8.4 मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक सशक्त समिति का गठन किया गया है, तथा इसमें अन्य सम्बन्धित विभागों के प्रतिनिधि हैं। सशक्त समिति द्वारा अंतर्विभागीय समन्वयन तथा निवेशकों की शिकायतों के निवारण के लिए आईटी सिटी/आईटी पार्क/वृहद आईटी/आईटीईएस परियोजनाओं/उत्कृष्टता के केन्द्रों के विकास हेतु केस-टू-केस आधार पर निवेश के लिए संस्तुति/अनुमोदन प्रदान किया जायेगा। आईटी/आईटीईएस मेगा निवेश इकाई के लिए पूंजी निवेश अथवा रोजगार सृजन की आवश्यकता के निर्धारित मानदण्डों को पूर्ण करने वाले वृहद आईटी/आईटीईएस परियोजनाओं के लिए सशक्त समिति एवं मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन से केस-टू-केस आधार पर पूंजी उपादान, परिचालन व्यय प्रतिपूर्ति, ब्याज उपादान, स्टाम्प शुल्क छूट, भविष्य निधि प्रतिपूर्ति, रिक्रूटमेंट सहायता, भूमि लागत प्रतिपूर्ति आदि के रूप में विशेष प्रोत्साहनों की अनुमन्यता होगी।
- 8.5 मा0 मंत्रिपरिषद द्वारा सशक्त समिति की संस्तुतियों के आधार पर निवेशक इकाई को अनुमन्य होने वाले हितलाभ पर विचार किया जायेगा एवं अनुमोदन प्रदान किया जायेगा।
- 8.6 निवेश प्रस्ताव में प्रस्तावित परियोजना, नीति में परिभाषाओं के अन्तर्गत प्रदर्शित सूचना प्रौद्योगिकी उद्योगों, सॉफ्टवेयर सेवाओं, सूचना प्रौद्योगिकी सेवाओं तथा "सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवाओं के लिए होगी।

9. नीति अवधि तथा प्रयोज्यता

- 9.1 यह नीति इसकी अधिसूचना की तिथि से प्रभावी होगी और 5 वर्ष की अवधि के लिए अथवा नई नीति की उद्घोषणा होने तक प्रभावी रहेगी।
- 9.2 नीति के अन्तर्गत निम्नलिखित इकाइयों को प्रोत्साहन उपलब्ध होगा:-
- 9.2.1 इस नीति की अधिसूचना के उपरान्त प्रस्तुत प्रस्ताव।
- 9.2.2 नीति के तहत प्रोत्साहन नई इकाइयों तथा विस्तारीकरण का प्रस्ताव करने वाली दोनों प्रकार की इकाइयों के लिए अनुमन्य हैं।
- 9.3 इस नीति के अन्तर्गत प्रोत्साहन प्राप्त करने वाली इकाइयों द्वारा निम्नवत समय-सीमा के अन्दर वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ किया जायेगा:-

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

पात्र स्थिर पूंजी निवेश	वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ करने हेतु समय सीमा
रु 200 करोड़ तक	लेटर ऑफ कम्फर्ट (एल.ओ.सी.) निर्गमन की तिथि से 4 वर्ष
रु 200 करोड़ से अधिक किन्तु रु 1000 करोड़ से कम	लेटर ऑफ कम्फर्ट (एल.ओ.सी.) निर्गमन की तिथि से 5 वर्ष
रु 1000 करोड़ से अधिक	लेटर ऑफ कम्फर्ट (एल.ओ.सी.) निर्गमन की तिथि से 7 वर्ष

- 9.4 केवल वही राशि जो नीति की अधिसूचना की तिथि से तथा उपरोक्त उल्लिखित समय-सीमा के अन्दर निवेश की जाती है, पात्र स्थिर पूंजी निवेश के रूप में मानी जायेगी।
- 9.5 पिछली आईटी/आईटीईएस नीतियों के तहत, जिन प्रकरणों के लिए लेटर ऑफ कम्फर्ट निर्गत किये गये हैं, वे पिछली नीतियों के प्राविधानों द्वारा शासित होंगे।

10. निवेश द्वारा नोडल संस्था को प्रस्ताव का प्रस्तुतिकरण

- 10.1 प्रोत्साहनों के लिए आवेदन सभी आवश्यक दस्तावेजों के साथ नोडल संस्था को प्रस्तुत किये जायेंगे।
- 10.2 नोडल संस्था द्वारा नामित मूल्यांकन एजेन्सी/पी.एम.यू. द्वारा निवेशक की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट एवं दस्तावेजों का मूल्यांकन किया जायेगा।
- 10.3 मूल्यांकन रिपोर्ट/आख्या प्राप्त होने के उपरान्त, नोडल संस्था द्वारा आवेदन की प्राथमिक जाँच की जायेगी।
- 10.4 नोडल संस्था द्वारा आवश्यक होने पर आवश्यकतानुसार अतिरिक्त सूचनायें/अभिलेख मांगे जा सकते हैं। आवेदक द्वारा समयबद्ध रूप से, यथासम्भव 7 दिनों के अन्दर सूचनायें प्रदान की जायेंगी।
- 10.5 प्रस्तुत अभिलेखों के संतोषजनक होने पर निवेशक को पावती-पत्र निर्गत किया जायेगा।

11. निवेश प्रस्ताव की स्वीकृति/अनुमोदन

- 11.1 परियोजना प्रस्ताव का परीक्षण होने के उपरान्त, नोडल संस्था द्वारा अपनी स्पष्ट संस्तुति के साथ नीति कार्यान्वयन इकाई के समक्ष विचारार्थ/अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।
- 11.2 रु0 200.00 करोड़ से कम अथवा समतुल्य निवेश वाले प्रस्ताव नीति कार्यान्वयन इकाई के समक्ष प्रस्तुत किये जायेंगे और नीति कार्यान्वयन इकाई का अनुमोदन प्राप्त होने की दशा में नोडल संस्था द्वारा निवेशक को लेटर ऑफ कम्फर्ट (Loc) निर्गत किया जायेगा।
- 11.3 रु0 200.00 करोड़ से अधिक निवेश वाले प्रस्तावों को नीति कार्यान्वयन इकाई की संस्तुति पर सशक्त समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जाएगा तथा ऐसे निवेश प्रस्ताव सशक्त समिति की अनुशंसा पर राज्य के मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन के अधीन होंगे।
- 11.4 रु0 200.00 करोड़ से अधिक निवेश वाले प्रस्तावों पर मा0 मंत्रिपरिषद के अनुमोदन की दशा में नोडल संस्था द्वारा निवेशक को लेटर ऑफ कम्फर्ट (Loc) निर्गत किया जायेगा।
- 11.5 नीति कार्यान्वयन इकाई तथा/अथवा मा0 मंत्रिपरिषद, जैसी भी स्थिति हो, के अनुमोदन एवं आवश्यक शासनादेश के निर्गमन उपरान्त लेटर ऑफ कम्फर्ट (Loc) प्रासंगिक नियमों और शर्तों के साथ-साथ, स्वीकृत लाभों के सम्बन्ध में निर्धारित प्रारूप पर निर्गत किया जायेगा।
- 11.6 लेटर ऑफ कम्फर्ट की प्रतियाँ जिला उद्योग केन्द्र, औद्योगिक विकास प्राधिकरण, सू0प्रौ0 एवं इलेक्ट्रानिक्स विभाग, उ0प्र0 शासन तथा अन्य हितधारकों को पृष्ठोक्ति की जायेंगी।
- 11.7 लेटर ऑफ कम्फर्ट में प्रदर्शित प्रोत्साहन राशि अनन्तिम होगी, जिसकी पुष्टि दावा की गई वास्तविक राशि तथा प्राधिकारी द्वारा राशि स्वीकृति के समय किया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

11.8 प्रोत्साहन के लाभ (परिमाण/अवधि) की सीमा समाप्त हो जाने अथवा नियमों और शर्तों के उल्लंघन पर, लेटर ऑफ कम्फर्ट को स्वतः निरस्त मान लिया जायेगा।

11.9 यदि निवेशक द्वारा प्रस्तुत की गई कोई भी सूचना असत्य पाई जाती है अथवा भौतिक तथ्यों को छुपाकर लाभ प्राप्त किया गया है तो लेटर ऑफ कम्फर्ट को निरस्त माना जायेगा तथा निवेशक/कम्पनी को प्रदान किये गये सभी हितलाभ राज्य कानूनों के अन्तर्गत वसूली योग्य हो जायेंगे।

12. प्रोत्साहन संवितरण की प्रक्रिया

12.1 प्रोत्साहन के संवितरण हेतु आवेदक द्वारा लेटर ऑफ कम्फर्ट के अनुसार प्रोत्साहन दावे का उल्लेख करते हुए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से नोडल संस्था को प्रस्तुत किया जायेगा।

12.2 नोडल संस्था द्वारा संवितरण प्रारूप (सं.प्रा.) तथा आवश्यक सहायक अभिलेखों का परीक्षण नियंत्रक-महालेखापरीक्षक से सूचीबद्ध चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट/सूचीबद्ध वैल्यूअर से कराया जायेगा।

12.3 स्थिर पूंजी निवेश की वास्तविक स्थिति का आगणन बैंक/वित्तीय संस्थानों अथवा आईटी एवं इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग, 30प्र0 शासन द्वारा नामित समिति अथवा इस हेतु नियुक्त वित्तीय परामर्शी/राज्य सरकार की संस्था द्वारा निर्गत प्रमाण-पत्र के आधार पर किया जायेगा।

12.4 संवितरण प्रारूप आवश्यक सहायक अभिलेखों तथा प्रमाणपत्र को चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट की रिपोर्ट प्राप्त करने के पश्चात निम्नलिखित को अग्रसारित किया जायेगा:-

(अ) ₹0 200.00 करोड़ के समतुल्य अथवा कम निवेश वाले मामले में संवितरण प्रारूप (सं.प्रा.) को लेटर ऑफ कम्फर्ट तथा वास्तविक निवेश के अनुसार विचार एवं अनुमोदन हेतु नीति कार्यान्वयन इकाई के समक्ष प्रस्तुत किया जायेगा। धनराशि उपलब्ध होने की दशा में, स्वीकृत धनराशि नोडल संस्था द्वारा नीति कार्यान्वयन इकाई से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात अवमुक्त की जायेगी।

(ब) ₹0 200.00 करोड़ से अधिक निवेश वाले मामले में संवितरण प्रारूप (सं.प्रा.) को नीति कार्यान्वयन इकाई की संस्तुति के पश्चात सशक्त समिति के अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया जायेगा। धनराशि उपलब्ध होने की दशा में, स्वीकृत धनराशि नोडल संस्था द्वारा शासन से स्वीकृति प्राप्त होने के पश्चात अवमुक्त की जायेगी।

12.5 ₹0 200.00 करोड़ से अधिक निवेश वाले प्रकरणों को सशक्त समिति के समक्ष प्रथम संवितरण हेतु प्रस्तुत किया जायेगा। तत्पश्चात अनुवर्ती वितरण नीति कार्यान्वयन इकाई के ही अनुमोदन के पश्चात किए जायेंगे।

12.6 निवेशक को समस्त भुगतान ई-पेमेन्ट/एन.ई.एफ.टी./आर.टी.जी.एस. द्वारा सीधे उसके खाते में किया जायेगा।

12.7 सभी अस्वीकृत संवितरण प्रारूप की सूचना नोडल संस्था द्वारा, निवेशक को सक्षम प्राधिकारी द्वारा निर्णय के 30 दिन के अन्दर लिखित रूप में दी जायेगी।

13. प्रोत्साहन संवितरण

13.1 वित्तीय प्रोत्साहनों का लाभ वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ होने के पश्चात लिया जा सकेगा। चरणवार निवेश की दशा में प्रत्येक चरण के वाणिज्यिक परिचालन आरम्भ होने की तिथि को दृष्टिगत रखा जायेगा।

13.2 वित्तीय प्रोत्साहनों का आवेदन वार्षिक रूप से किया जा सकता है। निवेशक द्वारा प्रोत्साहन संवितरण हेतु आवेदन, प्रोत्साहन देय (Due) होने के 60 दिनों के भीतर प्रस्तुत किये जाने चाहिए।

13.3 अनुमोदन/अस्वीकृति/अनुशंसा के मामले में, विवरण लिखित रूप में अंकित किया जायेगा।

13.4 पूंजी उपादान के संवितरण हेतु नोडल संस्था, स्थलीय निरीक्षण अथवा अभिलेखों के परीक्षण के माध्यम से निवेशक द्वारा स्थिर पूंजी निवेश के निर्धारण हेतु जब भी आवश्यक समझे, एक अतिरिक्त समिति/व्यक्ति/एजेन्सी नियुक्त करने के लिए स्वतंत्र है। किसी दृष्टिगत अन्तर के मामले में निवेशक को स्पष्टीकरण देने और अतिरिक्त अभिलेख/सूचना, यदि कोई हो, प्रस्तुत करने का अवसर दिया जायेगा।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रॉनिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

13.5 निवेशक द्वारा निर्धारित प्रारूप में सम्बन्धित अभिलेख नोडल संस्था को प्रस्तुत किये जायेंगे। नोडल संस्था द्वारा आवेदन प्राप्त के 30 दिनों की अवधि में आवेदन का परीक्षण किया जायेगा तथा नोडल संस्था द्वारा मांगी गई कोई अतिरिक्त सूचनायें/अभिलेख आवेदक द्वारा 15 दिनों में उपलब्ध करवाई जायेंगी। यह उपादान इकाई को पेटेन्ट प्राप्त होने के पश्चात ही अनुमन्य होगा।

14. प्रशासनिक व्यय

निवेशक इकाई को स्वीकृत वित्तीय लाभों की राशि के 02 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि प्रशासनिक व्यय के रूप में नोडल संस्था यूपीएलसी को प्राप्त होगी, जिससे संवितरण की धनराशि से कटौती कर लिया जायेगा। उक्त धनराशि में नोडल संस्था द्वारा चयनित मूल्यांकनकर्ताओं एवं चार्टर्ड एकान्टेण्ट्स/मान्यता प्राप्त वैल्युअर्स/अभियंताओं के माध्यम से, निवेश द्वारा किये गये पूंजी निवेश के सत्यापन में हुए व्यय की धनराशि भी सम्मिलित है।

15. परिभाषायें:

उ0प्र0 सूचना प्रौद्योगिकी एवं सूचना प्रौद्योगिकी जनित सेवा नीति-2022 की 'परिभाषाओं' के संबंध में नीति के प्रस्तर-8 के बिन्दु क से ठ तक में उल्लिखित अंश अवलोकनीय है।

16. न्यायालय का क्षेत्राधिकार

किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में लखनऊ (उत्तर प्रदेश) स्थित न्यायालयों में ही वाद दायर किया जा सकेगा।

17. व्यय भार

वित्तीय प्रोत्साहनों के वितरण के सम्बन्ध में आने वाले सभी व्यय जिसमें आवश्यकतानुसार विधिक विलेख निष्पादित करने में आने वाले व्यय, स्टैम्प शुल्क, अधिवक्ता, सालिस्टर शुल्क व अन्य आनुसंगिक व्यय शामिल हैं, पात्र इकाई के द्वारा देय होगा।

18. प्रोत्साहनों के निरस्तीकरण हेतु मानदण्ड

निवेशक द्वारा प्राप्त किये गये लाभों के उपरान्त यदि किसी समय यह पाया जाता है कि निवेशक/इकाई द्वारा दी गयी सूचनायें गलत हैं, अथवा तथ्यों को छुपाकर गलत आंकड़ों/अभिलेखों के आधार पर छूट/प्रतिपूर्ति प्राप्त की गयी है तो उपलब्ध करायी गई धनराशि 15 प्रतिशत ब्याज सहित प्राप्त की जायेगी तथा धनराशि वापस न करने पर यह धनराशि भू-राजस्व बकाये के रूप में वसूल की जायेगी, साथ ही निवेशक/इकाई के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही भी अमल में लायी जायेगी।

कृपया उपरोक्त के सम्बन्ध में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

नरेन्द्र भूषण

प्रमुख सचिव।

संख्या-10/2023/404/78-1-2023/तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1 कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 2 अवस्थापना एवं औद्योगिक विकास आयुक्त, उ0प्र0।
- 3 अपर मुख्य सचिव, मा. मुख्य मंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
- 4 औद्योगिक विकास शाखा के समस्त प्रमुख सचिव/सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 5 प्रमुख स्टाफ ऑफिसर, मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन।
- 6 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, वित्त विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
- 7 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन, उ0प्र0 शासन।
- 8 अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव, ऊर्जा विभाग, उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

- 9 समस्त मण्डलायुक्त, 30प्र0/समस्त जिलाधिकारी, 30प्र0।
- 10 मुख्य कार्यपालक अधिकारी, इन्वेस्ट यूपी, लखनऊ।
- 11 निजी सचिव, प्रमुख सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, 30प्र0 शासन।
- 12 निजी सचिव, विशेष सचिव, आईटी एवं इलेक्ट्रानिक्स, 30प्र0 शासन।
- 13 प्रबन्ध निदेशक, यूपीएलसी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि नोडल संस्था के रूप में उक्त दिशा-निर्देशों के अनुपालन में अग्रेतर आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित कराने का कष्ट करें।
- 14 प्रबन्ध निदेशक, यूपीडेस्को, गोमती नगर, लखनऊ।
- 15 आईटी क्षेत्र से जुड़े प्रमुख उद्योग संघ जैसे नेस्कॉम/सीआईआई/पीएचडी, सीआईआई/आईआईए आदि।
- 16 गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
अक्षय त्रिपाठी
विशेष सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।